... अभिलेख का निरिक्षण किया गया। निरिक्ष...

नगर पंचायत अर्की के लम्बीन्त लेखा आवेक्षण आपतियों का श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्यक्ष द्वारा किए गए निरिक्षण दिनांक 3/2/05 की अंकित निरिक्षण रिपोर्ट।

नगर पंचायत अर्की के लम्बीन्त लेखा आवेक्षण आपतियों के बारे की गई अनुपालना बारे दिनांक 3/2/05 को अभिलेख का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण करने पर इस बारे निम्न सार पाया गयाः-

लेखा आवेक्षण अवधि	कुल लम्बीन्त पैरे	पैरे जो सैटल करवाऐ गए	लम्बीन्त पैरो बारे की गई अनुपालना
7/67 से 1/70	2		इन पैरो से सम्बन्धित अभिलेख दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है।अतः वह पैरे समाप्त किए जाने चाहिए
2/70 से 3/72	1		-यथोपरि-
4/72 से 3/77	5		यह पैरे राष्ट्रीय कार्यक्रमो के लिए उपमण्डलाधिकारी की जीप के लिए पैट्रोल खरीदने बारे है। इस बारे जो अनुपालना सम्भव थी कर दी गई है बाकी की जानी अब सम्भव नहीं है।
4/77 से 3/81	13	1	बाकी पैरो में अधिकांश पैरे भूतपूर्व सचिव नंदलाल से सम्बन्धित है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है तथा उसके विरूध न्यायलय में भी इन पैरो से सम्बन्धित वसूली बारे गबन का मामला किया गया था जिसमें वह दोषी पाया गया तथा नेक चाल चलन पर प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त जो अनियमताऐं बताई गई है वह भी अब पुरी की जानी सम्भव नहीं है।
4/81 से 3/82	2		बताई गई आपतियों के बारे अनुपालना कर दी गई है परन्तु इनसे सम्बन्धित अभिलेख न्यायलय द्वारा तलब करने के कारण नहीं बताया जा सका।
4/82 से 3/83	3		की गई अनुपालना लेखा आवेक्षण द्वारा मान्य नहीं है
4/83 से 3/85	1		--यथोपरि-
4/85 से 3/87	1		--यथोपरि-
4/87 से 3/91	10		--यथोपरि
4/91 से 3/94	18		---यथोपरि-
4/94 से 3/97	218		

इनमें जिन पैरो के बारे वसूली की जानी थी उन मैसे जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित उन मैसे अधिकांश करके पैरे सैटल करवा दिए गए है बाकी कुछ कर्मचारी कार्य छोड़कर या तबादला हो कर चले गए है उनसे सम्बन्धित वसूली बारे कारवाई की जानी है और कर्मचारी /अधिकारी तबदला होकर चले गए है उनसे सम्बन्धित पैरे उनको भेजकर उनसे जुबाब मांगा जाना चाहिए या वसूली की जानी है। इनमें जो पैरे कनिष्ठ अभियन्ता से सम्बन्धित है और उसे भेजे गए है उसके जुबाब बारे उसे लिखा जावे। पैरा न0 12 अनुत्पादक व्यय अखबारो में विज्ञापनो के बिलो का है जो तत्कालिन प्रशासक/सचिव द्वारा करवाया गया है उसके बारे उनसे तर्कसंगतता या जुबाब मांगा जाए। जो पैरे मृत्क व्यक्तियो से सम्बन्धित वसूली के है उन्हें समाप्त करने बारे निदेशालय को मामला भेजा जाए।

सचिव,न0,प0अ0

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)उपाध्यक्ष
नगर पंचायत अर्की

14. STATEMENT OF PENDING AUDIT PARAS

Period of Audit year wise	No. of Audit Paras year	No. of Audit Paras settled during 2003-04	Reasons for non
1. 7/67 to 170	= 2 No.	Nil	Record has been destroyed by white Ant.
2. 2/70 to 3/72	= 1 "	Nil	-do-
3 4/72 to 4/77	= 5 No.	Nil	Compliance done not admitted by Audit.
4. 4/77 to 3/81	= 13 No.	1	All the paras relates to the embezzlement case against Ex. Secy, who was convicted and found guilty but released on probation. by the court.
5. 4/81 to 3/82	= 2	Nil	Compliance done regarding irregularties hot admitted by the Audit. steps are taken to remove the observations.
6. 4/82 to 3/83	= 3	Nil	
7. 4/83 to 3/85	= 1	Nil	-do-
8. 4/85 to 3/87	= 2	Nil	-do-
9. 4/87 to 3/91	= 10	Nil	-do-
10 4/91 to 3/94	= 18	Nil 12	Compliance with regard to ... paras have been done and ...
11 4/94 to 3/97	= 268 = 249		
Total	= 200 Settled 12		Outstanding 253 -

Compliance regarding Pending Paras are being done & shown to the next Audit.

नगर पंचायत अर्की के लम्बीन्त लेखा अकेक्षण आपतियों का श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्यक्ष द्वारा किए गए निरिक्षण दिनांक 3/2/05 की अंकित निरिक्षण रिपोर्ट।

नगर पंचायत अर्की के लम्बीन्त लेखा अकेक्षण आपतियों के बारे की गई अनुपालना बारे दिनांक 3/2/05 को अभिलेख का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण करने पर इस बारे निम्न सार पाया गया:-

लेखा अकेक्षण अवधि	कुल लम्बीन्त पैरे	पैरे जो सैटल करवाये गए	लम्बीन्त पैरो बारे की गई अनुपालना
7/67 से 1/70	2		इन पैरो से सम्बन्धित अभिलेख दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है।अत: यह पैरे समाप्त किए जाने चाहिए
2/70 से 3/72	1		-यथोपरि-
4/72 से 3/77	5		यह पैरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए उपमण्डलाधिकारी की जीप के लिए पैट्रोल खरीदने बारे है। इस बारे जो अनुपालना सम्भव थी कर दी गई है बाकी की जानी अब सम्भव नहीं है।
4/77 से 3/81	13	1	बाकी पैरो में अधिकांश पैरे भूतपूर्व सचिव नंदलाल से सम्बन्धित है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है तथा उसके विरुद्ध न्यायालय में भी इन पैरो से सम्बन्धित वसूली बारे गबन का मामला किया गया था जिसमें वह दोषी पाया गया तथा नेक चाल चलन पर प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त जो अनियमतायें बताई गई है वह भी अब पुरी की जानी सम्भव नही है।
4/82 से 3/82	2		बताई गई आपतियों के बारे अनुपालना कर दी गई है परन्तु इनसे सम्बन्धित अभिलेख न्यायालय द्वारा तलब करने के कारण नहीं बताया जा सका।
4/82 से 3/83	3		की गई अनुपालना लेखा अकेक्षण द्वारा मान्य नहीं है
4/83 से 3/85	1		--यथोपरि-
4/85 से 3/87	1		--यथोपरि-
4/87 से 3/91	10		--यथोपरि
4/91 से 3/94	18		---यथोपरि-
4/94 से 3/97	218		इनमें जिन पैरो के बारे वसूली की जानी थी उन मैसे जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित उस मैसे अधिकांश करके पैरे सैटल करवा दिए गए है बाकी कुछ कर्मचारी कार्य छोड़कर या तबादला हो कर चले गए है उनसे सम्बन्धित वसूली बारे कार्यवाई की जानी है और कर्मचारी /अधिकारी तबदला होकर चले गए है उनसे सम्बन्धित पैरे उनको भेजकर उनसे जुबाब मांगा जाना चाहिए या वसूली की जानी है। इनमें जो पैरे कनिष्ठ अभियन्ता से सम्बन्धित है और उसे भेजे गए है उसके जुबाब बारे उसे लिखा जावे। पैरा न0 12 अनुत्पादक व्यय अखबारों में विज्ञापनों के बिलो का है जो ततकालिन प्रशासक/सचिव द्वारा करवाया गया है उसके बारे उनसे तर्कसंगतता या जुबाब मांगा जाए। जो पैरे मृतक व्यक्तियो से सम्बन्धित वसूली के है उन्हें समाप्त करने बारे निदेशालय को मामला भेजा जाए।

सचिव,न0,प0अ0

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)उपाध्यक्ष
नगर पंचायत अर्की

ग्राम पंचायत भर्री जिला सीवान
(छ० प्र०) के लेखों का अंकेक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि = 4/89 से 3/94 तक

खण्ड - I

1. गत अंकेक्षण : गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निम्नांकित आपत्तियों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है :

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/67 से 4/70 तक

(i) पैरा - 2 शेष।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/70 से 4/72 तक

(i) पैरा - 4 शेष।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 5/72 से 7/72 तक

(i) पैरा 3(i) निष्पादित।
(ii) पैरा 8 शेष।
(iii) पैरा 9 शेष।
(iv) पैरा 11 शेष।
(v) पैरा [illegible] शेष।
(vi) पैरा 13 शेष।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-41/27 में अनुपालन

(i) पैरा - 8 शेष।
(ii) पैरा 9 शेष।
(iii) पैरा 10 शेष।
(iv) पैरा 11 शेष।
(v) पैरा 12(ए और डी) शेष।
(vi) पैरा 13 शेष।
(vii) पैरा 14 शेष।
(viii) पैरा 15 शेष।
(ix) पैरा 16 शेष।
(x) पैरा 17 शेष।
(xi) पैरा 21 शेष।
(xii) पैरा 23 शेष।
(xiii) पैरा 25(डी) शेष।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 41/87 में अनुपालन

(i) पैरा 8(ए और बी) — शेष।
(ii) पैरा 9 निस्तारित।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83 तक

(i) पैरा 9 (बी) ठेकेदार प्रिंटिंग प्रेस बनाम एम० ए० पी० आदि के मामले में माननीय हाई कोर्ट स्थायी अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही की थी। मामले का निर्णय दिनांक 29.12.87 को हो चुका था। परन्तु अभी तक अधिवक्ता कार्यालय से वापिस नहीं आयी। अतः पैरा शेष रहा।

(ii) पैरा 9 (सी) शेष — अप्रेषित —

(iii) पैरा 9 (डी) शेष — अप्रेषित।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85 तक

(i) पैरा 11 (बी) शेष।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87 तक

2 (i) पैरा 8 (बी) शेष।

(ii) पैरा 9 (बी) (ii) शेष।

(ग) सामान्य निरीक्षण टिप्पणी पैराओं की स्थिति

(i) पैरा 2 निस्तारित

(ii) पैरा 5(1) शेष।

(iii) पैरा - 6 शेष।

(iv) पैरा 7 शेष।

(v) पैरा 8 शेष।

(vi) पैरा 9 शेष।

(vii) पैरा 10 निस्तारित।

(viii) पैरा 11 निस्तारित।

(ix) पैरा 12 शेष।

(x) पैरा 13 शेष।

(xi) पैरा 14(ए) शेष।

(xii) पैरा 14(बी) निस्तारित।

(xiii) पैरा 15 निस्तारित तथा वर्तमान स्थिति पैरा संख्या 19(ए) में दर्शायी गई है।

(xiv) पैरा 16 शेष।

(xv) पैरा 17 शेष।

पैरा - आक्षेपण रिपोर्ट की कार्यवाही के नियम प्रस्तुत करना।

नोट 1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 244 (2) के अनुसार, पूर्व आक्षेपण रिपोर्ट की कार्यवाही की विस्तृत सूचना को प्रस्तुत करना आवश्यक था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1984-85 से अंकेक्षण की रिपोर्ट जो पत्र संख्या ... दिनांक 16.7.86 द्वारा जारी हुई थी की कार्यवाही की अनुपालना प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथा संबंधित रिपोर्ट की ... की गई कार्यवाही को आगे कार्यवाही की आगामी ऑडिट में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. <u>वर्तमान अंकेक्षण</u> - नगर पंचायत के लेखों की जांच 4/89 से 3/94 तक के लेखे परीक्षण कार्य श्री ओ0के0 शर्मा सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 1.3.95 से 28.4.95 की अवधि के दौरान किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु माह 4/89, 8/90, 9/90, 2/90, 11/90, 3/91, 6/91, 9/91, 10/91, 3/92, 4/92, 7/92, 2/93, 3/93, 6/93, 10/93, 1/94 एवं 3/94 का चयन किया गया।

3. <u>वित्तीय स्थिति</u> -
(क) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नप्रकार से थी जबकि विस्तृत विवरण परिशिष्ट - (क) में दर्शाया गया है।

	1989-90 रु. पै.	1990-91 रु. पै.
प्रारम्भिक शेष	3,88,082-62	1,41,339-47
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	1,82,851-85	5,32,263-75
योग	5,70,934-47	6,73,603-22
घटा वर्ष के दौरान व्यय	4,29,595-00	4,27,190-00
अन्त शेष	1,41,339-47	2,46,413-22

	1991-92	1992-93
आदि शेष	2,66,413-22	3,68,271-72
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	7,50,505-50	4,51,620-10
योग	10,36,918-72	8,19,891-82
वर्ष के दौरान भुगतान	6,68,647-00	6,72,334-00
अन्त शेष	3,68,271-72	1,47,557-82

	1993-94
आदि शेष	1,47,557-82
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	9,10,192-00
योग	10,57,749-82
वर्ष के दौरान भुगतान	7,05,737-00
अन्त शेष	3,52,012-82

जमा किये

(1) रु० 50,000-00 रु० की एफ०डी० खाते में स्थानान्तरित न करके इलाहाबाद बैंक संख्या 239337 दिनांक 23-4-88 को जमा करवाई गई। जिसको दिनांक 31.3.89 तक की अन्त शेष में दर्शायी नहीं गया था। इस राशि पर इलाहाबाद बैंक द्वारा वर्ष 1988-89 की कुल रु० 1375-00 ब्याज दिया गया जिसे रोकड़ में दर्शायी नहीं गया। इस प्रकार रु० 51,375-00 जो रोकड़ में दर्शायी नहीं गई थी को जमा रोकड़ के अन्त शेष में किया गया। जिसको रोकड़ में भी दर्शायी जाये। 51,375-00

(ii) यू०को० बैंक शाखा की पास बुक सं० 2347 में दिनांक 31.3.89 को रु० 96,983-40 शेष था [उक्त राशि का कैश ओपन [illegible] में प्रदर्शन नहीं किया गया जिसे आगामी [illegible] के दौरान प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें] इस राशि को न तो वर्ष 88-89 के अन्त शेष में दिखाया गया था और न ही रोकड़ में दर्ज किया गया था। अतः उक्त राशि को वर्तमान [illegible] में लिया गया।	96,983-40
(iii) इलाहाबाद बैंक [illegible] के खाता सं० 3984 में दिनांक 31.3.89 को रु० 100-00 शेष था [पास बुक के अनुसार] उक्त राशि को न तो वर्ष 88-89 के अन्त शेष में दर्शाया गया था और न ही रोकड़ में दर्ज किया गया था।	100-00
अन्त शेष	4,20,471-22

318

पोस्ट आफिस व अन्य बैंक में दिनांक 31.3.94 तक जमा पूँजी

	रु०	पै०
(1) इलाहाबाद बैंक चालू खाता संख्या 169	1,21,532-00	
(2) इलाहाबाद बैंक सावधि " " 2347.	31,746-00	
(3) पोस्ट आफिस सावधि " " 239333.	1,00,022-85	
(4) एन०डी०सी० ऊँचाहार " " 1070	492-00	
(5) " " " फुरसतगंज " 3984.	30-75	
(6) यू० को०बैंक सावधि " 6978	202-00	
(7) पी०एल०ए० ए० सावधि —	1,22,355-62	
(8) राष्ट्रीय विकास विकास पत्र दि० 27-1-92	54,000-00	
9. इलाहाबाद राशी दिनांक 31.3.94 तक	90-00	
जोड़	4,30,471-22	

(ख) आय के स्रोत

नगर पंचायत ऊँचाहार की ज्यादा आय के स्रोत निम्न प्रकार से थी।

(1) दुकानों से किराया।
(2) तहबाजारी की आय।
(3) नक्शा पारित करने का शुल्क
(4) सरकारी अनुदान (चुंगी समाप्त होने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान।

नगर पंचायत अन्ती की वित्तीय स्थिति
बहुत ही दयनीय है । इनकी क्षेत्र में
लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए
नगर पालिका चुंगी कर समाप्त होने
के बाद से प्राप्त सरकारी अनुदान पर
निर्भर करती है । नगर पंचायत के पास
इतना भी धन नहीं है कि वह अपने
कर्मचारियों को हित पुनः सरकार द्वारा स्वीकृत
किया गया मंहगाई भत्ता निर्धारित दर पर
दे सके ।

नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति को
सुधारने के लिए नगर पंचायत द्वारा
कोई ठोस पग नहीं उठाये गये तथा
जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है ।
अतः नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता
है कि वहाँ अपनी नगर पंचायत सभी
औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात
किस प्रकार के शुल्क / करों को लगाने
पर विचार करें जिससे नगर पंचायत
की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके
तथा क्षेत्र के लोगों को और सुविधा

प्रदान कर सकने में समर्थ है।

(1) गृह कर
(2) भूमि कर
(3) सफाई कर
(4) [illegible] / रिक्शा लाइसेन्स
(5) साईन बोर्ड शुल्क
(6) [illegible] लाइसेन्स
(7) साइकिल लाइसेन्स
(8) पार्किंग फीस शुल्क

(5) अंकेक्षण शुल्क :- नगर पंचायत [illegible] के लेखों आवधि 4/89 से 3/95 के लेखों का लेखा परीक्षण शुल्क रु० 2670/ मात्र (रुपये दो हजार छः सौ सत्तर मात्र) बनता था जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट (ख) में दर्शाया गया है।

इस अंकेक्षण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में "0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60-अन्य सेवायें, 110-सरकारी लेखा परीक्षा के लिए रसीद" निदेशालय को सत्यापन हेतु भेजा जाए जो सत्यापन के पश्चात वापिस कर दिया जायेगा।

रु 2670/- रुपये चालान सं० 16 दिनांक 8/1/96 द्वारा सरकारी कोष में जमा करवा दिये गये (उप-वाद - कं०)

(1) सरकारी अनुदान –

(क) वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के मध्य विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राजकीय अनुदान राशियों का विस्तार से ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट – 'क' में दर्शाया गया है।

(ख) वर्ष परिशिष्ट – 'क' के अनुसार वर्ष 1990-91 क्रमांक सं० 6 एवं वर्ष 1992-93 क्रमांक सं० 2 राशियों को रसीद के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को स्ट्रीट लाइट लगवाने जाने हेतु हि० प्र० विद्युत विभाग आदि को भुगतान किया गया था। परन्तु उक्त राशियों के व्यय का ब्यौरा सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः व्यय का पूर्ण विवरण सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें तथा आगामी अंकेक्षण के मध्य जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(ग) परिशिष्ट – 'क' के अनुसार वर्ष 1992-93 के क्रमांक सं० 6 एवं वर्ष 1993-94 के क्रमांक सं० 1 से 6 तक की वांछित अनुदान राशियाँ विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त हुई थीं। अनुदान नियमों के अनुसार

— 15 —

आरक्षण

नीति के

[illegible] वर्षों से वर्षों

लिया जाना था तथा [illegible] पूर्व उल्लेख एवं [illegible] प्रत्येक

नीति चाहिये था। जबकि [illegible] का उपयोग

को दर्शाते [illegible] शासन के आदेशों

[illegible] के अनुरूप

[illegible] [illegible] इस

नहीं किया गया। [illegible] करने

वर्षों के अन्तर [illegible] वास्तविक

[illegible] रिक्त [illegible] की [illegible]

पदों [illegible] का उपयोग। [illegible]

सम्बन्धित [illegible] के लिये किया

जाये। अनुपालन आख्या

[illegible] [illegible] प्रस्तुत करें।

(ग) [illegible] वर्ष 1989 से पूर्व जारी आरक्षण

[illegible] के प्रावधानों [illegible] की

[illegible] [illegible] परिशिष्ट - ४

में दर्शाया गया है।

(घ) परिशिष्ट - ४ के क्रमांक [illegible]

1 से 3 तथा 11 के अनुसार आरक्षण

[illegible] की [illegible] [illegible]

[illegible] के पास [illegible] कार्य [illegible] हेतु

[illegible] [illegible]। [illegible] से

[illegible] अनुपालन हुई [illegible] [illegible] विभाग

के पास जारी [illegible]। इसका अनुपालन

राशियों की वसूली सम्बन्धित विभाग से की जावे तथा सरकारी कोष में सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाई जावे तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

(ग) परिशिष्ट -(ख) के क्रमांक सं० 5 से 10 के अनुसार विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु राशियों का हस्तांतरण लोक निर्माण विभाग को किया गया था। उक्त राशियों के व्यय का विवरण एवं कार्य पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग अजमेर से प्राप्त नहीं हुआ। अतः समस्त विवरण सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें तथा यदि अनुदान राशि अनुपयोगी पड़ी हुई है तो उक्त राशियों की वसूली करने हेतु कार्यवाही की जावे तथा इस बारे हुई प्रगति से इस विभाग को अवगत करवाया जावे।

6. नेहरु रोजगार योजना

वर्ष 1990 से 1993-94 तक के दौरान नेहरु रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट (ड) में दर्शाया गया है तथा लेखों को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। अन्य प्राप्त राशि के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि० प्र० सरकार के पत्र सं० वित्त एल० ए० डी० बी० (10) 60/84 दिनांक नवम्बर 1992 के अनुसार महालेखाकार हि० प्र० शिमला द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसलिए नेहरु रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि के व्यय का अंकेक्षण कार्य नहीं किया गया।

7. पूंजी निर्माण करने के वास्ते प्राप्त अनुदान

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक के मध्य पूंजी निर्माण करने के वास्ते संस्था को हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

वर्ष	प्राप्त राशी रु.
1989-90	88,682-00
1990-91	1,02,097-00
1991-92	1,04,000-0
1992-93	1,24,800-00
1993-94	1,24,800-00

8. गन्दी बस्ती सुधार योजना

वर्ष 1990-91 से 1993-94 के मध्य गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशी का विवरण परिशिष्ट - ट - पर दर्शाया गया है। उक्त राशीयों को नोटिफाईड निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

1 लेखा ... के ...

(ग) नगर पंचायत देश के स्त्रोतों से जन ... हेतु हि० प्र० अनुसूचित जाति एवं जन जाति विकास निगम सोलन तथा निदेशक, स्थानीय शहरी निकायें से अवधि 4/89 से 3/95 तक प्राप्त ऋण का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट -'ठ' में दर्शाया गया है। सम्बन्धित प्राप्त ऋण को स्वीकृति पत्र में दर्शाये गये निर्देशों के अनुसार व्यय किया जावे तथा उपयोग एवं कार्य समापन प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को शीघ्र भेजने के प्रयास किये जावें।

(घ) ऋण की वापिसी :- नगर पंचायत द्वारा मार्च 1995 तक हि० प्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम को रु० 22000.00 रु० लौटाये गए तथा कुल 5.58 रु० अभी ऋण के लौटाये जाने शेष हैं। विवरण निम्न प्रकार से है :-

एजेन्सी जिससे ऋण प्राप्त हुआ	राशि	वापिस किया गया	बकाया
(1) हि० प्र० अनुसूचित एवं जन जाति निगम, सोलन	5,80,000.00	22,000.00	5,58,00
(2) निदेशक, शहरी स्थानीय निकायें, शिमला	1,00,000.00	20%	1,00,.

10 दुकानों का संचालन नियम

लेख पंचायत द्वारा

विभिन्न निर्माणकार्यों के स्थानों का

बकाया किराया रु० 15,130.00 का निरीक्षण

नियमित संचालन पंचायत के को

प्रस्तावित गया है दिनांक 31.3.95 तक

वसूल किया जाना शेष था।

अतः बकाया किराया वसूल

करने हेतु उचित कार्यवाही करें व

अनुपालना आगामी अंकेक्षण के

मध्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(I) लोक निर्माण 15 हेड 5/50 मद रु० 8000 का भुगतान

रु० 8000-00 रु० का भुगतान श्री [illegible] कार्यालय [illegible] की [illegible] सामान खरीद हेतु किया गया था। कार्यालय [illegible] द्वारा रु० 8,007-00 रु० का [illegible] लेखा प्रस्तुत किया।

उपलब्ध अभिलेखों की जांच पर निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईं :

(1) कुर्सियों की खरीद [illegible]

बिल संख्या 1584 दि० 17-5-80 द्वारा [illegible] हरीश फर्नीचर, चण्डीगढ़ से 8 कुर्सियों की खरीद की गई थी। जिसके लिए रु० 2385-60 रु० भुगतान किया गया [illegible] लागत की [illegible] से [illegible] जोकि यह [illegible] आवश्यक [illegible] से [illegible] चाहिये।

(2) कुर्सियों की खरीद [illegible] की गई [illegible] हिमाचल प्रदेश [illegible] फाइनेंशियल रूल्ज़ 1971 की धारा [illegible] के अन्तर्गत निविदायें नहीं ली गई थीं। अतः कुर्सियों की खरीद को निविदा पर [illegible] [illegible] प्राप्त करने की [illegible] पर [illegible] निविदा [illegible] करायें।

(2) पुराना नगर पंचायत [illegible] के [illegible]
भवन अधिकारी के आदेश [illegible] को [illegible]
रु० [illegible]०० — [illegible] राशि [illegible]
दी जाई गई। [illegible] रु० [illegible]
का [illegible] निर्माण [illegible]
करवाया गया तथा [illegible] को [illegible]
कार्य को [illegible] गया जबकि [illegible]
का [illegible] तिथि पर [illegible] प्रकार [illegible]
नहीं होता। [illegible] का [illegible]
अधिकारी द्वारा [illegible] किया जाना था
नगर पंचायत हेतु आदेशों को [illegible]
[illegible] नगर पंचायत [illegible]
किया जाना था।

[illegible] रु० [illegible] राशि
[illegible] दि० 17.8.10 [illegible] 2
[illegible] दि० 17.8.10 [illegible] 1
पंचायत [illegible]

33

अतः आपत्ति रु० 835.00 का नियम [illegible]
तिथि से किया जाना था की [illegible]
पंचायत [illegible] को [illegible]
शाखा अधिकारी की स्वीकृति लेकर
निस्तारित करवाया जावे।

(20)

[illegible] आपत्ति 5/90 द्वारा [illegible]
का अनुपालन

[illegible] 83 आपत्ति 3/90 द्वारा [illegible]
का अनुपालन

उपरोक्त अग्रिम राशियों का समायोजन श्री राजकुमार शर्मा कनि० अभियन्ता को विभिन्न कार्यों हेतु सामान खरीदने के लिए [illegible] गया था परन्तु समायोजन लेखों की जांच पर निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई।

(1) अग्रिम राशि रु० 55000.00 के बारे में

(क) अग्रिम राशि से निम्न प्रकार के सा[illegible] की खरीद की गई थी। परन्तु खरीद न तो दर संविदा पर की गई और न [illegible] हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड [illegible] की धारा 170 (क) के अनुसार निविदा कर बाजार भाव के कम मूल्य का उठाया गया। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि नगर पंचायत कार्मिक द्वारा हि० प्र० के आदेशों एवं निर्देशों का सीधे खरीद करके उल्लंघन किया गया जिससे नगर पंचायत को भी प्रतीत हो

अतः बिना दर संविदा तथा बिना निविदायें प्राप्त करके सामान की खरीद को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाये तथा सामान की खरीद नियमावली (वित्तीय) औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही की जाये।

कैशमेमो सं०	विक्रेता का नाम	राशि	खरीद का विवरण
5915, दि० 17.5.90	[illegible] इलैक्ट्रीकल्स —चण्डीगढ़ 22	1603.00	इलैक्ट्रीकल सामान की खरीद की गई तथा इसे एम०बी०एल० पृष्ठ 14-15 पर दर्ज किया गया। इसका सामान को दुकानों के निर्माण हेतु संचित पृष्ठ सं० 27 पर दर्शाया गया।
5916, दि० 17.5.90	[illegible] —	2022.00	2 नं० स्टील [illegible] तथा एक [illegible] की खरीद की गई तथा इसको एम०बी०एल० पृष्ठ 14-15 पर दर्ज किया तथा इसको सामान को दुकानों के निर्माण में नहीं [illegible] पृष्ठ 27 पर दर्शाया गया।
142, दि० 17.5.90	जैन भारत [illegible] —चण्डीगढ़-22	1373.00	[illegible] और विटिंग का सामान खरीदा गया तथा एम०बी०एल० पृष्ठ 14-15 पर दर्ज किया गया।

(स) सीमा की दुकानों के निर्माण कार्य हेतु खरीदा गया सामान की दुकानों के [illegible] लगाया गया था, जो कि [illegible] अध्यक्ष [illegible] के दर्ज नहीं किया गया था। मामले में अंतिम कार्यवाही करके [illegible] आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये।

(II) आकस्मिक राशि रु० 1,25,000.00 के बारे में

(अ) आकस्मिक राशि से निम्न प्रकार के सामान की खरीद न तो दर संविदा पर की गई थी, और न ही हि०प्र० म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 की धारा 190(4) के अन्तर्गत निविदायें प्राप्त करके खरीद की गई थी।

क्रमांक	वाउचर सं०/दिनांक	विक्रेता का नाम	राशि	खरीद का विवरण
1.	26 दि० 31/8/90	शर्मा ट्रेडर्स, [illegible] [illegible]	3,564.00	[illegible] [illegible] कार्यालय [illegible] के लिये खरीदा गया।
2	2208 दि० 27/8/90	मोहन स्टोर [illegible]	2,080.00	[illegible] [illegible] में खरीदी गई।

(iii) [illegible] दि० ...-९० [illegible] [illegible] [illegible]
आयोजक - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(iv) [illegible] दि० ...-९० — [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] - [illegible]

(v) [illegible] दि० ...-९० [illegible]
आयोजक - [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] की जाये।

(vi) [illegible] (iii) [illegible] (iv) [illegible]
[illegible] [illegible] कि [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] उपयोग
किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] उपयोग
[illegible] [illegible] [illegible] किया गया [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

(iii) 6163 दि० 20.8.90 मै० मो० इलैक्ट्रीकल्स [illegible] अलीगढ़ - 22 रु. 3,030.00 बिजली का सामान [illegible] फिटिंग एवं [illegible] लाइट कम्पलीट [illegible] [illegible]

(iv) 6171 दि० 22.8.90 — सप्लायर — 550.00 फ्लेमप्रूफ लाइट फिटिंग कम्पलीट - 2 No.

(v) 6174 दि० 22.8.90 मै० [illegible] अलीगढ़ - [illegible] 1,040.00 4 No. [illegible]

उपरोक्त सामान को नाली [illegible] स्टोर में दर्ज किया गया और न ही इस स्टॉक / डी एस बी रजिस्टरों में दर्शाया गया। मामले में उचित कार्यवाही करें तथा अनियमितता [illegible] को [illegible] प्रस्तुत [illegible] की जाये।

(vi) क्रमांक नं० (iii) और (iv) के बारे में बताया गया कि बिजली का सामान [illegible] लगाने के लिए [illegible] द्वारा उपयोग किया गया था [illegible] इस [illegible] नहीं [illegible] जिसके [illegible] उपरोक्त सामान को उपयोग किया गया था [illegible]

अतः, आपत्ति के संबंध में कार्यवाही ... तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये।

(III) वा० सं० 79 माह 8/90 द्वारा रु० 10,000.00 रु० का भुगतान

रु० 10,000.00 रु० अग्रिम राशि के रूप में श्री राज कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता को कोलैप्सिबल दरवाजा खरीदने के लिए भुगतान किया गया था जिसकी खरीद कै० मै० सं० 86 दिनांक 31.8.90 द्वारा की गई थी परन्तु उपरोक्त खरीद करने से पहले हिमाचल म्यूनिसिपल अकाउंट कोड-1975 के नियम 170(1) के अन्तर्गत, निविदायें नहीं मांगी गई थी जिस कारण यह नहीं जांचा जा सका कि क्या खरीद बाजार भाव के कम मूल्य पर की गई थी। अतः निविदायें न मांगने एवं बाजार भाव के कम दरों पर खरीद न करने के कारण स्पष्ट करें तथा बिना निविदायें मांगे किये सामान की खरीद को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवायें। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

(IV) बिजली की फिटिंग पर व्यय

नगर पंचायत आवाँ द्वारा विभिन्न स्थानों पे बिजली की फिटिंग करवाने हेतु निम्न दुकानों व व्यक्तियों को भुगतान किया गया।

क्रमांक व्या० विवरण	फर्म/विक्रेता जिसको भुगतान किया गया	धनराशि	कार्य का ब्यौरा
(1) 13 आद 4/89	किशोर इलेक्ट्रीकल हाउस आवाँ	1200-00	नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों बिजली की फिटिंग करवा
(2) 18 आद 8/90	जमना दास लाईटिंग आवाँ	448-00	नगर पंचायत आवाँ के स्थानों पे 28 पंवाईंट बिजली के 16-00 प्रति पंवाईंट की दर से लगवाये गये।
(3) 20 आद 3/92	देवी चन्द शंकर इलेक्ट्रीकल्स पिपल्या आवाँ	210-00	न० प० आवाँ के स्थानों पे 7 बिजली के पंवाईंट 30-00 प्रति पंवाईंट की दर से लगवाये गये।
(4) 25 आद 5/95	— आवाँ	1680-00	स्थानों पे 14 पंवाईंट लगवाने की दर भुगतान 120-00 प्रति पंवाईंट के हिसाब से किया गया

उपरोक्त [illegible] जाओ की फिटिंग कार्य
निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई।

(क) एम० बी० पर पैमाइश दर्ज न करने बारे।

उपरोक्त बिजली के फिटिंग कार्य की पैमाइश एम० बी० में हि० प्र० म्युनिसिपल अकांउट्स कोड 1975 के नियम 198 के तहत नहीं की गई थी। जिससे न तो यह जांचा जा सका कि कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार हुआ था या नहीं तथा न ही बिजली का सामान जो नगर पालिका द्वारा बिजली के ठेकेदार को दिया गया था का उपयोग जांचा नहीं जा सका। अतः पैमाईश को एम० बी० पर न दर्ज किये जाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा किये गये कार्य का मूल्यांकन बिजली विभाग से करवाया जावे जिससे यह जांचा जा सके कि किया गया भुगतान तथा अन्य सामान का उपयोग पूर्णतया कर लिया गया था।

(ख) बिजली के वायरिंग कार्य करवाने से पहले निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी जिस से यह जांच न हो सकी कि विभाग का कार्य बाजार भाव से उचित मूल्य पर करवाया गया था। अतः कार्य बिना निविदाओं के आमंत्रित किये जाने के कारण [illegible] किये जावें तथा बिना निविदायें आमंत्रित किये गये कार्य की संबंधित अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवायें।

(ग) सामान के उपयोग का ब्यौरा :- उपरोक्त कार्य निष्पादित करवाने हेतु बिजली का सामान भण्डार पंचायत द्वारा जारी किया हुआ था परन्तु बिजली के ठेकेदार के बिल के साथ सामान के उपयोग का विवरण संलग्न नहीं किया गया था। अतः मामले में उचित कार्यवाही की जावें।

(घ) जिन-2 स्थानों में बिजली की फिटिंग का कार्य करवाया गया था के बारे में ठेकेदारों के बिलों पर यह नहीं दर्शाया गया था कि किन किन स्थानों में कार्य करवाया गया था तथा यह [illegible] कहाँ-2 [illegible] गये हैं। कारण बताई जावें।

[illegible] रही है [illegible] रुपए [illegible] दर से [illegible]
है [illegible] अधिक भुगतान
कर दिया गया है। अतः मामले की जांच की जाये तथा उचित कार्यवाही की जाये।

(ड) <u>अधिक भुगतान की आशंका – क्रमांक 3 और 4 बारे</u>

3/92 और 4/92 के मासों के वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि श्री देवी चन्द ठाकुर ठेकेदार पिपलू घाट अर्की द्वारा स्कूलों में बिजली की फिटिंग का कार्य किया गया था। माह 3/92 को ठेकेदार को 10.00 प्रति प्वाईंट (9 प्वाईंट X10) = 90.00 रु०) की दर से भुगतान किया गया था ~~जबकि~~ अचानक से 30.00 रु० प्रति प्वाईंट की बढ़ोतरी होना असम्भव प्रतीत होता है तथा यह आशंका की जाती है कि ठेकेदार को अनाधिकृत तौर पर रु० 30.00 रु० प्रति प्वाईंट (14 प्वाईंट X30 = 420.00) की दर से लाभ पहुंचाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के बल आधार से यही बल मिलता है कि नगर पंचायत द्वारा किये गये कार्यों एवं भुगतान की औचित्यता तर्क संगत ढंग से तैयार नहीं की गई थी। अतः नगर पंचायत आमेठी को अपने स्तर पर जांच व उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जाये।

ये हस्ती हुई

२८ पर

(V) 16 नग स्टेबलाइजरों की बिलों की खरीद व ...

डी० जी० एस० एण्ड डी० दर ... 6133

रु० 12,400.00 का

श्री सुरेश वशिष्ठ ठेकेदार को 1670 वोल्टेज कॉस्ट इलेक्ट्रोनिक स्टेबलाइज़र (आटोमेटिक कंट्रोल) की खरीद ... व्यवस्था की वित्तीय ... रुपये 12,400.00 का भुगतान किया गया।

अनियमित भुगतान ... इस प्रकार की त्रुटियां पाई गई।

(क) एम० बी० में पैमाइश दर्ज नहीं की गई

प्रस्तुत बिलों के अनुसार 16 नग ... 32 स्टेबलाइजर 16 ... 16 ... स्टेबलाइजर की खरीद की गई थी

परन्तु ... किन्तु सामान किया ... नियम ... 1978 ... के अनुसार एम० बी० पर पैमाइश दर्ज नहीं की गई थी। जोकि नियमों के प्रतिकूल है;

... अतः ... में ... ... की ... ... जाँच ...

सुश्पानन

सम्बन्धित निकाय से वसूला जावे।

(अ) कार्य निष्पादन हेतु निविदायें हाथो-हाथ ली गई थी क्योंकि निविदायें आमंत्रण के लिये पत्र/नोटिस जारी नहीं किये गये थे। म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड-1975 के नियम 192(1) के अनुसार निविदायें म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा प्रधान की उपस्थिति में खोली जानी थी। जबकि निविदायें प्रधान द्वारा खोली गई तथा श्री सुरेश विजय ठेकेदार की दरें स्वीकृत की गई थी। जबकि म्युनिसिपल इंजीनियर की सिफारिश पर ही निविदायें स्वीकृत की जानी चाहिये थी।

(ब) निविदायें प्रधान द्वारा स्वीकृत (टेण्डर/निविदाओं के रजिस्टर पर की गई। परन्तु ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत किये जाने तथा कार्य आवंटन किये जाने का पत्र जारी नहीं किया गया था। उसके साथ ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं करवाई गई थी अतः सिक्योरिटी न लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

(34)

लिये जाने का औचित्य ... नहीं ... जाये।

(ख) आयकर :- ठेकेदार के बिल से आय... 2% की दर से कटौती करके आयकर ... को भेजा जाना अपेक्षित था, जबकि ठेके... के बिल से आयकर काटा ही गया ... कि नियमों के प्रतिकूल है। अत: ... में ठेकेदारों के बिलों से निर्धारित दर ... आयकर की कटौती की जाये।

(ग) निविदायें प्राप्त करने के बाद तर्क स... तैयार की जानी अपेक्षित थी जिससे ... जाना जा सके कि किया जा रहा ... तर्क संगत (बाजार) के अनुरूप के अन्दर ही ... तर्क संगति तैयार न करने के ... नहीं जाना जा सका कि क्या ठेकेदार ... दरें तर्क संगत हैं अथवा नहीं। अत: नगर पंचायत इस पहलू ... संबंधित होने के उचित कार्यवाही ... अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत ... जाये।

VI) रौलिंग शटर का

नगरपालिका द्वारा रौलिंग शटर [illegible] -6 की दुकानों में रौलिंग शटर लगाने हेतु निम्न प्रकार से भुगतान किया गया था:

क्रमांक	वा.सं.क्रमांक	दिनांक किसको	राशि	कार्य का ब्योरा
(1)	5 [illegible]	[illegible]	15,000.00	[illegible] दुकानों में रौलिंग शटर [illegible] 6 फिट -8 के अनुसार लगाये गये।
(2)	7 [illegible]	[illegible]	53560.00	नगर पालिका की दुकानों में रौलिंग शटर लगाये गये। साईज 7.6" x 8.3"
(3)	10 [illegible]	[illegible]	47709.00	— यथोपरि। साईज 7.6" x 6.7"

उपरोक्त भुगतान में निम्न प्रकार की कमियाँ पाई गईं।

(क) उपरोक्त कार्य हेतु [illegible] नियम 1975 [illegible] के अनुसार निविदायें आमंत्रित नहीं की गईं [illegible] [illegible] था। निविदायें [illegible] के आधार पर [illegible] नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नगरपालिका

एवज प्राप्त करवाये कि क्या कार्यों में उक्त
'वास्तविक' रोलिंग आदर किया गया है एवं
दर से कार्य करवाया गया था या नहीं
तथा उसे कोई अतिरिक्त लाभ तो नहीं
पहुँचाया गया था ।

अभियन्ता के स्तर निविदायें न आमंत्रित
करने वाले अधिकारी के विरुद्ध, बिना
निविदायें आमंत्रित करवाये गये कार्य की नियमित
करवाया जावे ।

(14) क्रमांक (3) ऊपर के तौर से करवाये गये
कार्य को एम०बी० में दर्ज नहीं किया
गया था जबकि हि०प्र० म्युनिसिपल अकाउंट्स
कोड - 1975 के नियम 198 के अन्तर्गत
माप कर एम०बी० में दर्ज किया
जाना अपेक्षित था । अतः एम०बी०
में माप न दर्ज किये जाने बारे E.O. के
तथा किये गये कार्य का मूल्यांकन सम्बन्धित
विभाग से करवाया जावे जिससे यह जांच
हो सके कि किया गया कार्य तथा मूल्य
ठीक थी ।

वा० सं० 50 माह 6/93 राशि, रु० 32,800 रु०

[illegible]

रु० 32,800 का भुगतान मै० [illegible] गोविन्द इंजीनियरिंग वर्क्स गाजियाबाद-12 को 16 [illegible] की होर्डिंग बोर्ड साईज 8'x64" बिल सं० शून्य दि० 19.6.93 द्वारा लगाने हेतु किया गया। उपरोक्त कार्य के भुगतान में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईं।

(क) हि० प्र० म्युनिसिपल एकाउन्ट्स कोड 1915 के नियम 198 के अन्तर्गत किये गये कार्य की पैमाइश करके एम० बी० में दर्ज किया जाना अपेक्षित था जबकि नगर पालिका द्वारा पैमाइश पुस्तिका पर पैमाइश दर्ज नहीं की गई थी जो कि नियमों के प्रतिकूल है। अतः पैमाइश पुस्तिका में पैमाइश दर्ज न किये जाने का औचित्य स्पष्ट करें।

(ख) कार्य कराने से पूर्व दिनांक 11.6.93 को [illegible] निविदायें प्राप्त की गई थी इसके लिए निविदायें आमन्त्रण जारी नहीं किया गया था। मैसर्स गोविन्द इंजीनियरिंग वर्क्स गाजियाबाद-12 की दरें कम पाई गई थी तथा उन्हीं से कार्य कराया गया था परन्तु उपरोक्त कोड के नियम 196 के [illegible] जारी

नहीं किया गया था। जिससे यह
प्रतीत होता है कि कार्य पहले ही
करवा लिया गया था तथा निविदायें
तीन व्यक्तियों की केवल खाना-पूर्ति
हेतु अभिलेख में संलग्न की गई थी।
तथा निविदाओं को बाजार भाव से ज्या-
दर पर कार्य करने का कुछ लेना
देना नहीं था। अतः इस बाबत नगर पंचायत
अधि: अधिकारी को अपने स्तर पर जांच
करें तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।

(ग) कार्य आरम्भ करवाने से पूर्व ठेकेदार
द्वारा दर्शाई गई दरों के लिये दर
संगति (रेट एनालिसिस) तैयार की जानी
अपेक्षित थी जिससे यह पता लग सके
कि कार्य हेतु स्वीकृत की गई दरें
तर्क संगत थी तथा तर्क संगत के भीतर
ही थी। दर संगति तैयार न करने
का औचित्य स्पष्ट किया जावे
तथा मामले में उचित कार्यवाही करते
हुए इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

37

(घ) हिन्दी एम० म्युनिसिपल आवश्यक कोड 1975 के नियम 174 के अनुसार न तो धरोहर राशि प्राप्त की गई थी और न ही ठेकेदार के बिल से ली काटी गई थी। अतः ऑडिट के नियमानुसार धरोहर राशि एवं सिक्योरिटी ले जाया करें तथा वापिस की जाया करें।

(ड़) आयकर :- बिल से से 2% की दर से आयकर की कटौती की राशि अपेक्षित थी जबकि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार से आयकर की वसूली नहीं की गई। अतः आयकर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट करें। तथा आयकर की वसूली करके आयकर विभाग को प्रेषित करें।

(च) ठेकेदार को भुगतान करने हेतु बिल कार्य विभाग नियम-197 के सामान्य निर्देशों के अनुसार करके भुगतान किया जाना चाहिये था जबकि भुगतान सीधे तौर पर ठेकेदार द्वारा बिल सं० शून्य दिनांक 19.6.93 पर से कर दिया गया था जो कि उचित नहीं था।

अतः निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार बिल न तैयार किये जाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति निर्दिष्ट कार्य पर बिल तैयार न किये जाने की छूट प्राप्त करके भुगतान को नियमित करवाया जावे।

(छ) गटर लगवाने के कार्य हेतु निविदायें [illegible] द्वारा प्राप्त की गई थी जबकि नियम 18 के अनुसार टेण्डर जारी किया जाना अपेक्षित था। यदि उपरोक्त कार्य हेतु टेण्डर जारी किया जाता तो हो सकता था कि गटर के दाम रु० 2050.00 से भी कम होते। अतः टेण्डर जारी न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जावे तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर किये गये कार्य को नियमित करवाया जावे तथा की गई अनियमितता को नियमित करवाया जावे।

(36-शी)

(VIII) [illegible] रु० 2925.00 [illegible]

श्री [illegible] लाल सिलाईट [illegible]
को [illegible] के लिए [illegible] 2500
रु० सिलाई करने के लिए रु० 2925.00
का भुगतान, 11.01.01 [illegible] रेट
की दर से किया गया

उपर्युक्त रेटों की दरें
नगर पंचायत के पत्र संख्या [illegible] पी०
[illegible] 320 दि० 15.12.90 द्वारा मांगी गई
निविदाओं परन्तु के पश्चात स्वीकृत किया
गया था। इसके पश्चात माह 4,90
से वर्ष 1990-91 की नई रेटों की
स्वीकृति देके 1100/- रु० प्रति हजार की
दर श्री नरेश कुमार सिलाईट (रेग्युलाई
रु० - 2925) के पक्ष में स्वीकृत
की गई थी। बताया जाए कि श्री
नरेश कुमार सिलाईट को
सिलाई करने का आदेश किस [illegible]
नगर पंचायत द्वारा माह 12/90 में
नई [illegible] निविदाओं [illegible] रेटों [illegible]
[illegible] 1100 [illegible] स्वीकृत [illegible]
[illegible]

40

ये आदेश जारी न होने के कारण नहीं लगाये गये तथा माह 12 से वर्ष 1990-91 के लिए लेखा जा/ची। मौखिक रूप से बताया गया कि नरेश कुमार सप्लायर ने 1100 रु० की प्रति हजार की दर से ईंटें सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था। अभिलेखन को जांचने पर पाया गया कि न तो श्री नरेश कुमार को ईंटें सप्लाई करने का आदेश दिया गया था और न ही श्री नरेश कुमार सप्लायर ने ईंटें सप्लाई करने से इन्कार किया था। बिना कोटेशन औपचारिकताएं पूरी किये सीधे तौर पर दो बार वर्ष 1990-91 के लिये माह 12/90 में निविदायें मांगने एवं स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। बिना कोटेशन औपचारिकताएं पूरी किये 2500 ईंटों को 1170.00 प्रति हजार की दर से खरीदने के फलस्वरूप नगर पंचायत को 175.00 रु० की हानि हुई। अतः या तो नई निविदायें मांगने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा रु० 175.00 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी से की जाये।

उपरोक्त के साथ 12/90 से 3/91 के बीच की गई ईंटों की खरीद के मामलों की जांच की जाये तथा इस निदेशालय को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(IX) पुस्तकालय [illegible] में रैक बनवाने में [illegible]

श्री [illegible]

[illegible] पुस्तकालय [illegible] में रैक बनवाने हेतु [illegible] [illegible] [illegible] किया गया [illegible] है।

वाउचर नं.	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
७४४	३।१।८	३,३६०.००	५ रैक ८'×५'×१½' साइज़ की तथा [illegible] रैक ८'×२'×१½' साइज़ की बनवायी गयी।
॥	५।१।८	५,२६०.००	

[illegible] [illegible] की [illegible] पायी गयी।

(क) [illegible] कार्य हेतु [illegible] किया गया [illegible] [illegible] की [illegible] नहीं [illegible] थी।

(ख) [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गया [illegible] नहीं, [illegible] [illegible] [illegible]।

हिसाब सही ———

1975 के नियम सं० 140 के अनुसार निविदायें / कोटेशन मांग कर पहिले ऐसे कार्य की अवाम। कार्यकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर उसे नियमित करवाया जावे।

(11) मेजरमेंट पुस्तिका में दर्ज करने बारे

हि०प्र० म्युनिसिपल अकाउंट्स कोड 1975 के नियम 198 के अनुसार किये गये सामग्री कार्य की मेजरमेंट, मेजरमेंट पुस्तिका एम०बी० में दर्ज की जानी अपेक्षित थी; जबकि नगर पंचायत द्वारा मेजरमेंट पुस्तिका में मेजरमेंट को दर्ज नहीं किया गया, जो कि नियमों की उल्लंघना है। अतः किये गये कार्य का मूल्यांकन करवाया जावे। तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि किया गया कार्य तथा किया गया भुगतान एक जैसा था अथवा नहीं। यदि न हो तो इस निदेशालय को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(12) वा० सं० 288 माह 3/92 बारे

श्री सुरेश कुमार मालिक इलैक्ट्रोनिक्स शॉप ने माह 3/92 में लाइट्स की खुद और खरीदी थी

13

पूर्ण कार्यवाही हेतु 3360.00 रु० का बिल दिया था जिसका भुगतान माह 3/92 को वा०सं० 2584 द्वारा कर दिया गया था जबकि अप्रैल 1992 में फिर से 7600.00 रु० का बिल उसी कार्य के लिये इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा जिसमें से रु० 5,240.00 रु० का भुगतान किया गया जो कि ठीक नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि माह 3/92 में श्री सुरेश कुमार इलेक्ट्रीशियन आदि ने टैंक एवं मोटरों का कार्य पूर्ण कर लिये जाने का बिल रु० 3360.00 रु० दिया गया था जिसका भुगतान माह 3/92 को कर दिया गया था तो 5,240.00 रु० का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था। अतः रु० 5,240.00 रु० जिसका भुगतान श्री सुरेश कुमार वरिष्ठ [illegible] को किये जाने अनियमित रूप से किये जाने गया था या तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जावे। अन्यथा रु० 5,240.00 रु० के भुगतान के औचित्य को स्पष्ट किया जावे तथा कार्यवाही आगामी निरीक्षण पर प्रस्तुत की जावे।

55

(ङ.) आई.पी.सी. की विवेचना (किसी) गलत ढंग [illegible] की [illegible] आई.पी.सी. की विवेचना अध्याय/3, 2 [illegible] किया गया। [illegible] तथा अनुपालना आख्या [illegible] के [illegible] प्रस्तुत की जाये।

किया जाये

(छ) वी विल्हा 8 मि 4/89 पृष्ठ रु० 6017-00 रुपये का गबन।

गारंटी योजना, वाउचर 68/89 माह 1.3.89 से 31.3.89 तक की अवधि के लिये मिट्टी एवं मजदूरों को मुस्ली गांव में रिटेनिंग वाल बनाने के निर्माण कार्य हेतु लगाया गया था जिसके लिये मजदूरों एवं मिट्टी को रुपये 6017-00 का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त गारंटी योजना [illegible] किये गये कार्य की पंजिका [illegible] दिनांक 10.8.89 से 17.8.90 तक में पता की गई थी। कार्य की लागत रु० 20,250 [illegible] रजिस्टर से सामान जारी किया गया था। किये गये कार्य एवं उपयोग में लाई गई सामग्री की जांच करने पर निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईं।

(क) [illegible] के अनुसार सीमेंट की खपत 29 बैग बताई गई थी जबकि [illegible] रजिस्टर से 19 बैग सीमेंट जारी किये गये तथा सीमेंट उपयोग में लाई गई थी। इस प्रकार रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य में 10 सीमेंट बैगों का कम उपयोग किया जिसके फलस्वरूप कार्य घटिया किया गया प्रतीत होता है।

(ख) मानचित्र के अनुसार बजरी की 4.12 घन मीटर मात्रा की आवश्यकता थी जबकि स्टाक रजिस्टर के अनुसार 3.20 घन मीटर बजरी जारी करके उपयोग में लाई गई बताई गई। इस प्रकार 0.92 घन मीटर बजरी मानचित्र कम से जारी करके रु० 198.25 रु० की राजकोष को हानि हुई। (0.92 घन मी० = 32.50 घन फुट दर 6.10 रु० प्रति घन फुट की दर से) अतः रु० 198.25 रु० दोषी कर्मचारी से वसूली करके अनुपालन आख्या अंकेक्षण पर दिखाई जावे।

(पृष्ठ) पृष्ठ 57

(XI) श्मशान के स्लैबों का निर्माण कार्य वा० सं० 68 माह 8/90 द्वारा रु० 5195.00 रु० का भुगतान

श्मशान के स्लैबों के निर्माण कार्य हेतु मस्टरोल सं० 104/90 अवधि 1.7.90 से 31.7.90 द्वारा मिस्त्रियों एवं मजदूरों को कार्य पर लगाया गया दर्शाया था जिसके लिये उनको रु० 5195.00 रु० पारिश्रमिक के रूप में माह 8/90 में भुगतान किया गया।

उपरोक्त कार्य हेतु [illegible] स्टा० से निर्माण सामग्री जारी की गई थी। निर्माण सामग्री के उपयोग के ब्यौरे की जांच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकार की सामग्री जिसका मूल्य 616.45 रु० अनावश्यक जारी की गई थी। जिससे नगर पंचायत को हानि पहुंची। अतः रु० 616.45 रु० की वसूली दोषी कर्मचारी से की जाय तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

क्र०	एम०बी० सं० विवरण पृष्ठ संख्या	कार्य की गई	जारी किया गया सामान	उपयोग योग्य सामान	अधिक जारी की गई सामग्री का मूल्य
	1		2	3	4
(1)	सी० सी० 40.64 1:5	[illegible]	14 बोरे 100 [illegible] प्रति	5 [illegible] (सीमेंट)	5.12 [illegible] (सीमेंट) 0.88 [illegible]
	सी०सी० [illegible] 1:2 [illegible]				[illegible] 75 [illegible]

प्रोवेक्ट नं-2 लाईनिंग न० 3 — 28.64 वर्ग मीटर	4 ली०	2.14 ली०	1.54 ली० (40.80 मि० प्रति/वर्ग मी०)	69.85
सेपरेटर नं-2 लाईनिंग न० 2 — 28.64 वर्ग मीटर	5 ली०	3.28 ली०	1.72 ली० (82.85 मि० प्रति ली०)	142-50
कुल्ला लाईनिंग न० 10 — 553.34 वर्ग मी०	240 कि०	125 कि०	115 कि० (1.75 कि० प्रति कि०)	20125

616.45

(पृष्ठ - ५३)

(XII) वा०नि०क्रमांक २२२ दिनांक ३/९० द्वारा रु० ९८५७.०० (,ता

गुड़गांव

ग्यांगांव से बरा टैंक तक की सड़क की मरम्मत कार्य हेतु मास्टर रोल संख्या 89/90 द्वारा श्रमिकों एवं मजदूरों को अवधि 1.1.90 से 31.1.90 तक के लिये कार्य हेतु लगाया गया। किये गये कार्य की पैमाइश एम०बी० संख्या 101(3) पृष्ठ 58 से 63 तक पर की गई थी।

निगरानी कार्य हेतु ए०ई०एम०ए० से निगरानी सामग्री जारी की गई थी जिसका ब्यौरा स्टाक रजि० पर भी दर्ज किया गया था। जारी किये गये सामान की उपयोग की जांच करने पर निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईं।

(क) एम०बी० 101(3) पृष्ठ 58-63 के अनुसार सी०सी० 1:2:4 कंक्रीट 40 mm. तथा सी०सी० फाउंडेशन 1:4:8 कंक्रीट 50 mm. की मात्रा: 20.32 क्यू०मी० एवं 87.74 वर्ग मीटर क्रमशः की गई थी। जिसके लिये सीमेंट की मात्रा जिसका उपयोग किया जाना अपेक्षित था 15.73 बैग बनती थी। जबकि एस०डी०ओ० से इस कार्य हेतु सीमेंट 24 [illegible] बैग जारी किये गये थे। इस प्रकार अत्यधिक मात्रा 58 [illegible] बैग सीमेंट का उपयोग।

लिया गया था बिना कारण किये गये कार्य का सही ढंग से न किया जाना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण प्रकरण नगर पंचायत [illegible] मामले करने के पश्चात [illegible] उचित कार्यवाही करें तथा इस बारे में इस निदेशालय को भी सूचित करें।

(54) रेत की अधिक मात्रा का उपयोग

प्राक्कलन के अनुसार उपरोक्त कार्यों (विवरण क्र. [illegible]) हेतु रेत के खपत की मात्रा 11.36 घ०मी० बनती थी जबकि एम० बी० पेज 0 [250 46 तथा 36-37 से 10.16 घ० मी० तथा 4.50 घ० मी० आवश्यकतानुसार रेत जारी किया गया था] के अनुसार 14.66 घ०मी० रेत जारी किया गया था। इस प्रकार खपत की मात्रा से अधिक 3.30 घ०मी० का 416.60 [illegible] घ०मी० की दर से रेत अधिक जारी किया गया था जिसका मूल्य 699.60 बनता था। अतः अधिक जारी किये रेत की मात्रा का मूल्य नगर पंचायत हानि की है कि 699.60 रु० की [illegible] दोषी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये तथा इस बारे में इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

(ग) बजरी की अधिक खपत :

प्राक्कलन (क्र.) 3/45 किये गये कार्य हेतु बजरी की खपत 21.71 घन मी० बजरी की आवश्यकता कार्य के लिये घन मी० थी। [एम०बी० पृष्ठ 46 तथा 36,37 के अनुसार 19.19 घन मी० तथा बिल... बजरी जारी की गई थी] के अनुसार 25.19 घन मी० बजरी जारी की गई थी। इस प्रकार खपत से 3.48 घन मी० बजरी अधिक जारी की गई थी तथा उपयोग में लाई गई थी। जिससे नगर पंचायत को

₹50.00

... की हानि [ ] पहुंची [3.48 घन मी० = 199.96 घन मी० की दर 6.10 प्रति घन मी०] अतः हानि की कार्यवाही ... कर्मचारी से की जाए तथा अनुपालन आगामी अंकेक्षण को ... सहित प्रस्तुत ... की जाये।

(XIII) [illegible] मरम्मत [illegible] कार्य हेतु तालाब की मरम्मत

तालाब की मरम्मत कार्य हेतु
[illegible] 1.4.20 से 30.4.20,
[illegible] 06/30 [illegible] का कार्य पर [illegible]
[illegible] एवं मजदूरों को कार्य की पैमाइश
किया गया [illegible]
[illegible] 101(3) 24078 से 85 तक [illegible]
की गई [illegible]
→ मरम्मत कार्य हेतु [illegible]
से [illegible] जारी किया गया था। [illegible]
[illegible] को [illegible] पर [illegible]
की [illegible] पाई गई।

(ख) सीमेंट-2 का उपयोग [illegible]

22. [illegible] के अनुसार सीमेंट-2
की खपत 32 बैग [illegible] की [illegible]
[illegible] पृष्ठ 2-3 के अनुसार
85 बैग सीमेंट-2 जारी किये गये थे।
[illegible] मरम्मत कार्य
में [illegible] सीमेंट-2 की कम खपत
[illegible] मरम्मत कार्य
जाने के [illegible] निर्देशों पर [illegible]
[illegible] प्रतीत होता है। अतः कार्य
को [illegible] मापदण्डों पर [illegible]
[illegible] पंचायत [illegible]
[illegible] जाँच कर [illegible] तथा
[illegible] की जाये। अनुपालना से
[illegible] को
सहित सूचित किया जाये।

रेत, ईंट एवं रसीना की गलत जारी

माप पुस्तिका मे प्रविष्ट किये गये पुनरीक्षण कार्य की मैनाहिंग की जांच करने पर पाया गया कि रेत, ईंटों एवं रसीना की कुल खपत 4.51 सी० एम०, 2047 ईंटें तथा 186.26 किलो ग्राम, क्रमानुसार बनती थी जबकि खपत से अधिक मात्रा एम० ए० एस० से जारी की गई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस प्रकार रु० 372-85 रु० का सामान गलत ढंग से जारी करके उपयोग में लाया गया बताया गया था जिससे नगर पंचायत को रु० 372.85 रु० की हानि हुई। जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से की जाये तथा कार्यवाही करें। सूचना इस निदेशालय को दी जाये।

क्रमांक	सामान का नाम	कार्यादेश पृष्ठ 23 के अनुसार जारी किये गये सामान की मात्रा	मा० पु० के अनुसार सामान की खपत	अधिक जारी किया गया सामान	मूल्य
1	ईंटें	2200	2047	153 1150.80 प्रति 1000	119.00
2.	रेता	5 सी० एम०	4.51 सी० एम०	0.49 सी० एम० 88.35 दर 180.31 प्रति सी० एम० (रु० 95.11 प्रति सी० एम०)	
3.	रसीना	200 कि० ग्रा०	186.26 कि० ग्रा०	13.74 कि० ग्रा० 945.40 प्रति क्विंटल	129.89

56।

(ग) स्टेटमेंट — उपरोक्त कार्यों के लिए तैयार किया गया स्टेटमेंट अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे यह नहीं जांचा जा सका कि क्या व्यय स्टेटमेंट के अनुसार किया गया था कि नहीं। अतः सम्बन्धित स्टेटमेंट को आगामी अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(XIV) वा० सं० 53 माह 6/91 द्वारा 2618.00 का भुगतान

श्री राम सिंह ठेकेदार को कार्येक्टर गार्डेन के रिपेयर स्टोन पिचिंग कार्य करने हेतु भुगतान किया गया था। लेकिन उपरोक्त किये गये कार्यों की पैमाइश माप पुस्तिका में यू० पी० म्यूनिसिपल एकाउंट कोड 13-1975 के नियम 198 के अनुसार दर्ज नहीं की गई थी जो कि अनुचित है। पैमाइश माप पुस्तिका में न करने के कारण यह नहीं जांचा जा सका कि क्या किया गया भुगतान ठीक था कि नहीं माप पुस्तिका में पैमाइश न

(52) [illegible] - 5

[illegible] किया जाना [illegible] की [illegible]
तौर पर [illegible] [illegible] [illegible]
की [illegible] हेतु पर [illegible]
[illegible] रु० 8,618.00 रु० [illegible] भुगतान
[illegible] की
[illegible] करने पर [illegible]
[illegible] सम्बन्धित [illegible] [illegible]
[illegible] करके [illegible] [illegible]
[illegible] के [illegible] [illegible] करें ।।

(XV) नगर पंचायत [illegible] की निर्माण कार्य
[illegible] संख्या 48 [illegible] द्वारा 8,283.00 रु० का भुगतान

श्री राम सिंह ठेकेदार को
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
दीवार बनाने हेतु [illegible] प्रथम [illegible]
तथा अन्तिम बिल रु० 8,283.00 रु० का भुगतान किया
[illegible] कार्य में निम्न [illegible]
की त्रुटियां पाई गई ।

श्री राम सिंह ठेकेदार को निर्माण
(क) [illegible] रु० [illegible] [illegible] 1987
कार्य [illegible] [illegible] पर [illegible]
[illegible] की कार्य [illegible] पर
[illegible] [illegible] [illegible] गया । [illegible]

परन्तु

कार्य आयोजना के पूर्ति हेतु को
निर्धारित किया गया, कोड न०
के [ ] 170 के आदेश

मांगा नहीं गया था। शाखा कार्य आयोजन श्री राम सिंह
ठेकेदार के पक्ष में दिनांक 1.1.81 को
हेतु रजिस्टर में स्वीकृत किया
गया था। कार्य आयोजन की विस्तृत जानकारी
की पता कभी नहीं किया गया था।
समस्त प्रक्रिया जुबानी ही की गई
प्रतीत होती है यदि व्यवस्थित
कार्य के रजिस्टर हेतु मांगे गये
होते तो हो सकता था कि अन्य
ठेकेदार इसी कार्य को 66 प्रतिशत
प्रीमियम से भी नीचे कार्य करने
को तैयार हो जाते।

इन्हीं हेतु को न
मांगने का औचित्य स्पष्ट करें
तथा

हेतु को
न मांगने की छूट सक्षम
अधिकारी से प्राप्त कर के किये
गये कार्य को नियमित करावें।

(15) / शाखा के अंतर्गत बीजक की
प्रतियों की रजिस्टर होनी चाहिये
थी जबकि [illegible] पृष्ठ 34, 35
से प्रतियों जोड़ें जारी किया गया

था तथा उपयोग में लाया गया
बताया गया इस प्रकार 9 बोरी सीमेन्ट
की मात्रा उपयोगिता कार्य की कम
प्रयोग के [illegible] बाबत
मामला है, दूरी के आधार [illegible] किया गया
[illegible] प्रतीत होता है। अतः प्रधान
ग्रा. पंचायत अपने स्तर पर किये गये
कार्य की [illegible] जांच कर उचित कार्यवाही
करें।

(ग) <u>आयकर</u> : ठेकेदार के बिल से
आयकर की कटौती नहीं की गई
थी। जबकि कटौती की जानी
[illegible] आयोजित करी।
[illegible] निर्धारित दर से
आयकर की कटौती करके आयकर
विभाग को [illegible] सुनिश्चित
करें। (किया जावे) [illegible]

(घ) <u>निर्माण सामग्री [illegible]</u> : रु० 8793-00 में
से 3793-00 रु. की [illegible] वर्क
ऑर्डर रजिस्टर पृष्ठ-35 पर
तालाब खुदाई [illegible] की [illegible]
[illegible] [illegible] गया था
जबकि [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] की
[illegible] [illegible] [illegible]
आयोजित था अतः सम्बन्धित अभिलेखों
को ठीक किया जावे तथा अनुपालना
आगामी अंकेक्षण के दौरान
प्रस्तुत की जावे।

(XVI) टंकियों का निर्माण कार्य

वा० सं० 5 माह 4/92 द्वारा रु० 58150 का भुगतान

श्री राम सिंह ठेकेदार को तीन टंकियों का निर्माण कार्य करने हेतु रुपया का आवंटित किया [illegible] किया गया। ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्य की पैमाइश माप पुस्तिका - 7 पृ०सं० 8 [illegible] तक में प्रवि० की गई थी। उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गई।

(क) सीमेंट के उपयोग में:

माप पुस्तिका में अनुसार प्रविष्ट की गई पैमाइश के अनुसार किये गये कार्य में 85.5 बैग सीमेंट की खपत आती थी जबकि एम०बी० पृ०सं० 1097-79 से उक्त कार्य हेतु लिये [illegible] बैग सीमेंट के जारी किये गये थे, इस प्रकार निर्माण कार्य में 50 बैग सीमेंट हेतु कम उपयोग किये जाने के फलस्वरूप कार्य निर्दिष्ट माप दण्डों के अनुरूप न किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रधान नगर पंचायत / अधि० इस मामले की जाँच करके उचित कार्यवाई करें।

(च) ठेकेदार के निर्माण कार्य का भुगतान [illegible] पर
[illegible] के ऊपर [illegible] मामला सं० 1983 पर
आपत्ति किया गया था। कार्य की स्वीकृति केवल
मीटिंगों मिनिट्स मद 1492 दि० 29.11.91 को
प्रधान नगर पंचायत द्वारा दी गई थी। परन्तु
कार्य स्वीकृति करने से पहले बि०उ० म्युनिसिपल
एकाउंट्स कोड 1975 के नियम सं० 170 के अनुसार
माँगे गये टेण्डर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत
नहीं किया गया था। अतः सम्बन्धित टेण्डरों
को आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना
सुनिश्चित किया जावे।

(छ) आयकर तथा व्यापार कर की कटौती बिलों से काटी
नहीं गई थी। जबकि आयकर की कटौती करके
आयकर विभाग को जमा की जानी चाहिये
चाहिये थी तथा व्यापार कर की कटौती
करके बि०उ० म्युनिसिपल अकाउंट्स कोड 1975
के नियम 194 (1) के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि
के पश्चात लौटाई जानी थी। मामले में उचित
कार्यवाही करके अनुपालन आगामी ऑडिट दल को
दिखाई जावे।

(ज) उपरोक्त द्वारा ठेकेदार का बिल सत्यापित नहीं
किया गया था। अतः बिल का भुगतान [illegible]
के सत्यापन किये जाने और, विभागीय [illegible]
तथा वास्तविक स्थिति से स्थानीय निदेशालय को भी
सूचित करें।

(XVII) कार्य सं० 47 माह 2/93 राशि रू० 66833 की अनियमितता।

मापक सं० 179/93, अवधि 1.1.93 से 31.1.93 तक, द्वारा वन रेंज पर स्थित चौपाल की मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराया गया, जिसके लिये मिस्त्री एवं मजदूरों को कार्य पर लगाया गया। मापक द्वारा किये गये कार्य का माप माप पुस्तिका के पृष्ठ 26 के पृ० 26 पर अंकित नहीं किया गया था। माप पुस्तिका में अंकित किये गये कार्य के माप की जांच पर पाया गया कि उक्त कार्य के लिये 15 कट्टा सीमेन्ट की खपत कराई गई। पत्रावली एम० बी० पृ० से 10 बैग सीमेन्ट जारी किये गये थे और उपयोग के लिये गये बताये गये। इस प्रकार 5 बैग सीमेन्ट के कम खपत होने पर कार्य 1,14,290 मापक दर की तालिका 17.8.92 के अनुसार न किया जाना स्पष्ट जान पड़ता है। अतः निर्दिष्ट माप दरों पर कार्य न कराये जाने और रुपयों की वसूली अपेक्षित है तथा प्रधान नगर पंचायत से अनुरोध है कि वह मामले की उचित जांच करके मामले की उचित कार्यवाही करे ताकि भविष्य में कार्य निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ही हो।

(XVIII) व्यय संख्या 424 माह 4/93 रु0 3107-00

व्यय भुगतान :-

श्री राम सिंह ठेकेदार को [illegible] के नाले के निर्माण कार्य हेतु प्रथम व फाइनल बिल रु0 3107-00 मात्र का भुगतान किया गया। जिसे उक्त कार्य का माप माप-पुस्तिका - 9 पृष्ठ 17 से 18 तक में दर्ज किया गया था। कार्य के लिये जिलाधिकारी सोलन से रु0 12,100-00 मात्र की स्वीकृति पत्र संख्या डी० डी० पी०/स्था० - 20/92 दिनांक 12-8-92 द्वारा प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त कार्य में निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई।

प्राक्कलन (एस्टीमेट आदि)

नाले के निर्माण कार्य हेतु रु0 12100-00 मात्र का एस्टीमेट तैयार किया गया था परन्तु उस पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। तकनीकि स्वीकृति के बिना किसी भी कार्य को नहीं चलाया जा सकता। अत: बिना तकनीकी स्वीकृति कार्य कराने का औचित्य स्पष्ट करें तथा कार्योत्तर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके कार्य को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जावे।

(ख) निर्माण कार्य की पैमाइश एवं बिल की प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 9 पृष्ठ संख्या 17 से 18 तक में की गई है। परन्तु माप पुस्तिका पर बिल प्रधान से पारित नहीं करवाया गया था अतः माप पुस्तिका पर बिल पारित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए।

- ६८ -

(XIX) प्रा. संख्या २८ माह ४/१३ नगर पंचायत मुरादनगर

सार प्रस्तर :-

अर्हरोल संख्या १२२/१३ दि॰ ...

द्वारा धरोहर मन्दिर के लिये कन्क्रीट फेंसिंग का कार्य करवाया गया था। जिसमें ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का माप माप-पुस्तिका संख्या-७ के पृष्ठ ३४ से ३६ तक में दर्ज किया गया। उपरोक्त मापपुस्तिका में दर्ज किये गये माप की गणना के अनुसार सीमेंट की खपत ६५ बैग होनी थी जबकि स्टॉ॰ र॰ एवं रजिस्टर के अनुसार उक्त कार्य हेतु ५८ बैग सीमेंट जारी किये गये तथा उपयोग में लाया गया बताया गया। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु ७ बैग सीमेंट के कम उपयोग में लाने के फलस्वरूप कार्य निर्धारित माप दण्डों के अनुसार न करवाया जाना प्रतीत होता है। अतः एम॰ई॰/ प्रशासक नगर पंचायत प्रकरण स्तर पर जांच करके आवश्यक आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस निरीक्षणालय को सूचित करें। माप पुस्तिका-७ पृष्ठ संख्या ३४ से ३६ तक पर तैयार किया गया बिल था जो एम॰ई॰ द्वारा सत्यापित था और जो कि प्रशासक नगर पंचायत द्वारा पारित किया गया अतः प्रकरण की विवेचना करके उचित कार्यवाही की जाये।

(४४) वा० संख्या 336 माह 3/94 द्वारा रु० 12241-00 रू० (ठेकेदार सी० [illegible]) का भुगतान :-

ओबरा मुहल्ला में शौचालय एवं सेप्टिक टैंक के निर्माण कार्य करने हेतु श्री सुदर्शन सिंह ठेकेदार को उनके फाइनल एवं अन्तिम बिल का भुगतान प्रमाणक माह 3/94 में किया गया। शौचालय एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश शासन दर अनुसूची 1987 (लेबर रेट) से 30% प्रीमियम पर आगणित किया गया था। इनका कार्य हेतु धन संरक्षण एन०आर०वी०) अवर अभियंता द्वारा निविदायें आमंत्रित और ठेकेदार निविदा दिनांक 17-8-93 को स्वीकृत हुई। जिसके बाद निर्माण कार्य का माप पुस्तिका 1/93 पृष्ठ 21 से 22 तक में दर्ज किया गया था परन्तु ठेकेदार के बिल से हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड-1975 के नियम 194 के अनुसार न ही 1/10 कोस्ट से रायल्टी राशि काटी गई और न ही आय वार की सिक्योरिटी दर से कटौती की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल है। अतः [illegible] एवं आयकर की कटौती न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि रायल्टी राशि एवं आयकर की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जाया करेगी।

(XXI) 16 दुकानों का निर्माण कार्य ([illegible] मार्केट का निर्माण)

बी0 बिल न0 168 व्हाउचर 18/13 द्वारा रू0 9,85,578.00 (प्राक्कलन राशि 1,16,92,000 रु0) का भुगतान

श्री राम सिंह ठेकेदार को 16 दुकानों का निर्माण कार्य करने हेतु उनके चालू रनिंग बिल का भुगतान रू0 9,85,578.00 का किया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गई।

(क) प्राक्कलन :- 16 दुकानों के निर्माण कार्य का प्राक्कलन (स्टीमेट) नगर निगम की स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया। बताया गया कि उक्त स्टीमेट विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास को प्रेषित कर [illegible] दिया गया था क्योंकि उक्त विभाग द्वारा [illegible] मार्केट के निर्माण के लिये अनुदान प्राप्त किया जाना था। जबकि बिना उक्त स्टीमेट की स्वीकृति के कार्य नहीं करना चाहिए था। [illegible] अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति विभाग से स्वीकृति

68

की स्था. पूर्ति होकर जाँच हेतु निकाय स्तर से आगामी नोटशीट को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

(छ) श्री राम सिंह ठेकेदार का कार्य 75 प्रतिशत लिटर रेट) हि0 50 लाख घर सिविल 1987 के ऊपर प्रीमियम पर आवंटित किया गया। इस संबंध में उपरान्त नगर पंचायत द्वारा टेण्डर मीटिंग प्रस्ताव 14 पर दिनांक 29.11.91 को श्री राम सिंह ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत किया गया। नगर पंचायत द्वारा हि0प्र0 म्यूनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 190 के अन्तर्गत टेण्डरों की मांग अनुमोदन नहीं की गई थी। यदि टेण्डरों की मांग की जाती तो निश्चय था कि अन्य ठेकेदार भी इसी कार्य को 75 प्रतिशत प्रीमियम से कम दर पर कार्य करने को तैयार हो जाते। अतः नगर पंचायत टेण्डरों की मांग की अनुमति किये बिना कारण अतिरिक्त व्यय करे जाने तथा टेण्डरों के कार्य करवाने को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जावे तथा अनुपालना आगामी नोटशीट को अनुमोदन हेतु की जावे।

पृष्ठ - 67

कार्य पुस्तिका

(क) [illegible] के अनुसार कार्य 09/11/91 को प्रारम्भ किया गया था तथा निर्माण [illegible] को पूर्ण कर दिया गया था परन्तु [illegible] हैण्ड ओवर [illegible] नहीं किया गया था कि कार्य ठेकेदार को कितना समय दिया गया था अतः कार्य के ठेकेदार को कितना समय आवंटित किया गया था और आगामी निरीक्षण के मध्य [illegible] उल्लेख करना सुनिश्चित [illegible] किया जाये।

(ख) सीमेन्ट के उपयोग बाबत्

नाप पुस्तिका [illegible] क्रमांक 1193 पृष्ठ 5-7 में दर्ज पैमाइश के अनुसार उक्त कार्य में सीमेन्ट की खपत 510 बैग बनती थी जबकि स्टाक रजिस्टर पृष्ठ 60-69 के अनुसार उक्त कार्य के लिये [illegible] 683 बैग सीमेन्ट जारी किया गया था तथा उपयोग में लाया गया बताया गया। इस प्रकार उक्त कार्य में 173 बैग सीमेन्ट का कम प्रयोग कर [illegible] कार्य पूर्ण किया गया प्रतीत होता है। इसलिये प्रधान, नगर पंचायत एवं [illegible] की [illegible]

[illegible] संबंधी [illegible] करके [illegible] को सूचित करें।

(क) रेत का आधिक्य उपभोग करने

नाप पुस्तिका ( ) के पृष्ठ की गई पैमाइश की जांच करने पर पाया गया कि रेत की 87.96 घन मीटर मात्रा की खपत की जानी चाहिये थी, जबकि एम०बी० पृष्ठ 60-69 के अनुसार [illegible] समय पर 103.31 घन मी० रेत की मात्रा ( ) उपभोग किये जाने दर्शाई गयी थी। इस प्रकार 15.35 घन मी० रेत की मात्रा आधिक्य उपभोग करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत को रू० 2,712.00 की हानि हुई [15.35 घ०मी० = 542.40 घनफीट रू० 5.00 प्रति घ०फीट की = 2712.00 रू०] जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी से की जाये तथा उक्त अनियमितता आगामी सम्प्रेक्षण के समय [illegible] करायी जाये।

(ख) ईंटों का आधिक्य उपभोग करने बाबत

प्राक्कलन के अनुसार ईंटों की खपत 5534.80 किलो की जानी थी, जबकि एम०बी० पृष्ठ 60-69 के अनुसार 5626.40 किलो ईंटें [illegible] किया गया। इस प्रकार 91.60 किलो ईंटें जो आधिक्य मात्रा में प्रयोग किया गया का विवरण [illegible] है। इसकी वापिसी—

Adhikya 91.60 @ 5 = 458/-

(86)

हैंडलिंग ... की गई थी

एफ०सी०आई० डिलीवरी
पत्र 60-69 के अनुसार
प्राप्त की गई मात्रा

एम०बी० -1192 पृष्ठ 5-10 के
के अनुसार उपलब्ध

सत्यापन [illegible]
बोरिया [illegible]

माह [illegible]	10 [illegible]	12 [illegible]	योग
692.40 कि०	3750 कि०	1813.00 कि	5,626.40 कि
647.40 कि	3904 कि	1183.41 कि	5,534.90 कि
			91.50 कि

अतः 91.50 किलो दलिया की [illegible] / कार्यालय [illegible] से [illegible] किया जाना आवश्यक है। 91.50 किलो दलिया का मूल्य जो 1040.35 रु० बनता है की वसूली [1137.96 [illegible] किलो] दोषी कर्मचारी से की जाये तथा [illegible] आगामी अभिलेख के [illegible] सदस्य [illegible] की जाये।

(ख) चूने की आधिक्य उपलब्ध कराने पर

एफ०सी०आई० डिलीवरी पत्र 60-69 तक के अनुसार [illegible] किलो [illegible] प्राप्त किया गया [illegible] के अनुसार उपलब्ध 135 किलो [illegible]

इस प्रकार 35 किलो चूना अतिरिक्त
स्टोर से जारी किया गया था।
अतः 35 किलो चूना जिसका
मूल्य 105-00 बनता है की
वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से
की जावे तथा अनुपालना आगामी
निरीक्षण पर बताई जावे।

(XXII) [illegible] रु० 4,638.00 रु० का
भुगतान (अहिल्या [illegible])

[illegible] संख्या 154/90, [illegible]
1.0 [illegible] 37.250 [illegible] की
[illegible] एवं [illegible] के कार्य [illegible] रखवाया
गया जिसमें [illegible] एवं [illegible] की
रु० 4,638.00 रु० का भुगतान किया गया।
[illegible] कार्य की जांच
[illegible] 77 [illegible] किया
गया था।

[illegible] कार्य में [illegible] प्रकार
की त्रुटियां पाई गई।

(क) रेते की अधिक [illegible] बारे

[illegible] में [illegible] पाई गई [illegible]
की [illegible] पाया गया कि [illegible]
कार्य [illegible] रेता की खपत 6.87
[illegible] बनती थी जबकि [illegible]
[illegible] 75.75 [illegible] 76.77 [illegible]
[illegible] 8.51 [illegible] रेता जारी
किया गया था। इस प्रकार 1.64 [illegible]
का 57.95 [illegible] रेता अधिक जारी
किया गया था। [illegible] 57.95 [illegible]
[illegible] रेता [illegible] जारी [illegible] का

औचित्य स्पष्ट किया जावे अन्यथा रु०
[illegible] 18 रु० [3.113 ली० 250 ली० रु०
1.00 रु० प्रति ली० 250 ली०) की वसूली
उत्तरदायी दोषी कर्मचारी से की जावे
तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के
समक्ष प्रस्तुत की जावे।

(ख) बजरी की अधिक खपत बाबत

माप पुस्तिका न० पृष्ठ 73 से 77 तक में दर्ज माप की गणना करने पर पाया गया कि बजरी की खपत 5.74 ली० एम० बनती थी जबकि एम० एस० एस० रजिस्टर पृष्ठ (75-79) के अनुसार कार्य हेतु 6.71 घ०मी० बजरी जारी की गई थी तथा खपत की गई बताई गई। इस प्रकार 0.97 ली० एम० बजरी अधिक जारी की गई थी। अतः या तो अधिक जारी की गई बजरी का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा बजरी का मूल्य 17.25 (0.97 ली० एम० = 35.97 ली० 250 ली० रु० 5.00 प्रति ली० के हिसाब से) बनता है, की वसूली कर्मचारी से की जावे तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

13 सामान की खरीद

(ग) बिजली के सामान की खरीद

वाउचर 8 माह 3/90 द्वारा 12882.00 रु का भुगतान

" 33 माह 6/93 " 1460.00 रु का "

" " 34 माह 6/93 " 840.00 रु का "

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के कार्यालय हेतु सामान की खरीद की गई थी। किन्तु (संबंधित फर्मों) से निविदा प्राप्त नहीं की।

वाउचर	किसको भुगतान किया	राशि	सामान का विवरण
8 माह 3/90	मै० मोहन इलेक्ट्रिक आदि	12882.00	बिल संख्या 640 दि० 17-7-90 द्वारा ट्यूब लाइट, वायर आदि की खरीद की गई थी।
33 माह 6/93	कोटेशन	1460.00	बिल संख्या 6685 दि० 14.6.93 द्वारा बिजली का सामान खरीदा गया।
34 माह 6/93	कोटेशन	840.00	बिल संख्या 6684 दि० 14.6.93 द्वारा बिजली का सामान खरीदा गया।

उपरोक्त बिजली के सामान की खरीद में वित्तीय नियमों की त्रुटियाँ पाई गईं।

(घ) [illegible] आदि के सामान की [illegible] द्वारा

78 ~~(सं)~~ 754

नवीनीकृत दर संविदा पर की जानी
अपेक्षित थी, तथा अन्य सामान
की खरीद दर संविदा पर न की
जानी थी जो उ०प्र० म्युनिसिपल
अकाउंट कोड-1975 के नियम
-170(घ) के अनुसार निविदायें
प्राप्त करके [illegible] की जानी
अपेक्षित थी [illegible] किन्तु नगर
पंचायत द्वारा दर
संविदा पर खरीद की गई थी
अथवा जो भी निविदायें
(एम०ओ०पी० प्राप्त करने के
पश्चात) प्राप्त करके खरीद
की गई थी। ऐसा प्रतीत होता
है कि नगर पंचायत द्वारा
[illegible] बाजारी प्रतियोगिता का
लाभ नहीं उठाया गया। जानबूझ कर
जाना की खरीद नियम को उ०प्र० अधिनियम
पूर्ण किया संविदा के [illegible] संबंधित अधिकारी
की कार्यालय स्थिति जैसर
निर्धारित करते तदनुसार
अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित
की जावे।

अभ्युक्ति के साथ

79

अतः यह सुनिश्चित करें कि
सामान की खरीद, टेण्डर सिस्टम
द्वारा आमंत्रित दरों (कोटेशन) पर ही की जाये। यदि
खरीद अल्प मात्रा में भी
किसी आपात स्थिति में हो तो कम से कम
तीन कोटेशन [illegible] खरीद करने
से पहले प्राप्त कर ली जायें।

(ख) संस्था के बारे में :- विक्रेता
द्वारा बिल सादे कागज पर बनाया
गया था। जिस पर विक्रेता का
सेल टैक्स नं०, बिल नं० अंकित
नहीं था, जबकि बिल प्रिंटेड
फार्म पर होना चाहिए जिस पर
सेल टैक्स नं० अंकित होना आवश्यक
है। अतः नगर पंचायत
सम्बन्धित विक्रेता से प्रिंटेड फार्म
पर बिल प्राप्त करें तथा भविष्य
में यह सुनिश्चित करें कि सामान
का बिल प्रिंटेड फार्म पर ही
लिया गया हो। जिससे विक्रेता
सेल टैक्स की [illegible]
सरकारी कोष में जमा कराने पर
विवश हो जाये।

(II) बा० संख्या 108 माह 7/91 हुये (रु) [illegible] 450-00 [illegible]
" " 109 माह 7/91 " रु० 242.00 [illegible]

मै० नन्दलाल हैदर जोशी से सेनेटरी के सामान की खरीद निम्नलिखित बिलों द्वारा की गई थी। तथा सामान को नाप रजिस्टर में दर्ज किया गया।

बिल संख्या	राशि रु	खरीदे गये सामान का ब्यौरा
203 दि 9.8.91	242-00	एक सी आई पाईप, सोकेट, निपल, पट्टी व बैंड आदि की खरीद की गई थी,
205 " 28.8.91	450.00	

उपरोक्त खरीदे गये सामान के उपयोग को बताया गया कि यह सामान शौचालय की पुरानी पाईप की जगह लगाया गया था। परन्तु पुरानी [illegible] पाईप तथा अन्य धातु के सामान को अनुपयोगी (अनुपयोगी) रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। आडिट के मांगे जाने पर पंचायत द्वारा अनुपयोगी सामान रजिस्टर को [illegible] नहीं किया गया [illegible] अनुपयोगी सामान [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] अधिकारी [illegible] के [illegible] [illegible] प्रस्तुत करें।

(III) [illegible] 102 [illegible] 7/91 द्वारा मूल्य 1586.00 रुपये का [illegible]

[illegible] 141 [illegible] 7/91 द्वारा मूल्य 6972.00 रुपये का [illegible]

मै० [illegible] ट्रेडर्स [illegible] से बिल सं० [illegible] दि० 7.8.91 मूल्य 1586.00 रुपये तथा बिल सं० [illegible] दि० 8.8.91 मूल्य [illegible] रुपये द्वारा [illegible] सामान ([illegible]) [illegible] क्रय किया गया तथा [illegible] के [illegible] में उपयोग [illegible] गया परन्तु जो इसका सामान [illegible] गया था वो [illegible] रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिससे यह सम्भव होता है कि खरीदे गये सामान का उपयोग किसी और स्थान पर न कर लिया गया हो। अतः [illegible] सम्भावना है [illegible] कि [illegible] की [illegible] पर [illegible] तथा वास्तविक स्थिति से [illegible] अवगत करें। उपरोक्त के [illegible] गया कि उपरोक्त सामान खरीदने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं [illegible] [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible]।

78

... सामान क्रय ... द्वारा ... की गई थी।

हेतु सामान की खरीद ... परन्तु ... निम्नांकित मामलों में ... कि सामान की खरीद हेतु निविदा (कोटेशन) ... पर की गई थी ... की खरीद ... फार्म, म.प्र. वित्तीय नियम ... 1979 के नियम 170(4) के अन्तर्गत औपचारिकताएँ पूरी की गई थीं, जो कि नियमों के विपरीत है।

अतः सामान की खरीद पर कार्यवाही/कोटेशन औपचारिकताएँ पूर्ण किये बिना करने के औचित्य को स्पष्ट कर सक्षम अधिकारी से ... की गई सामान की खरीद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करावें तथा अनुपालन आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें।

व्हा.क्र.	विक्रेता का नाम	राशि	खरीद का कारण
23 दि. 3.92	गोमती ... भंडार ... [illegible]	1158.00	स्टेशनरी सामान की खरीद बिल ... दि. 15.3.92 द्वारा की गई।

३४. [illegible] [illegible] मै. [illegible] [illegible] — ९६८.२० — [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] ३.९४ [illegible] स्वीकृत. [illegible]

३५. [illegible] [illegible] मै. [illegible] [illegible] — १,५४५.०० — [illegible] के [illegible] [illegible] ३०२[illegible] ४४३ [illegible] [illegible] के स्वीकृत [illegible]

(V)

निम्न विवरण सामान की खरीद बिना निविदा किये की गई थी जबकि [illegible] के अनुसार निविदा उस के [illegible] से अधिक निविदायें प्राप्त करके दर तालिका पर ही [illegible] के अनुसार की गई थी; जो जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित निविदाएं (जहाँ सामान की खरीद हेतु निविदा [illegible] निविदायें प्राप्त करके की गई थी) आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाये। यदि नहीं तो सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर खरीद को नियमित करवायें।

वा० विवरण	विक्रेता का नाम	राशि रु०	खरीद का ब्यौरा
54 ओ 55 मार्च 6/93	श्याम इलेक्ट्रीकल्स जयपुर	8525.00	बिल नं० 30 व 7 दि० 18.6.93 द्वारा 6 दरवाजे की खरीद [illegible] 7
159 मार्च 6/93	मै० तुलसी टिम्बर इण्डस्ट्रीज जयपुर	10500.00	बिल विवरण 285 दि० 17.3.93 द्वारा कोहनूर दरवाजे [illegible] [illegible] के लिये खरीदे गये।

[illegible]

(VI)

[illegible] सिलेण्डर
सामान को खरीद की गई थी। खरीदे गये
सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया
गया था तथा खरीदे गये सामान को
सीधे तौर पर ही उपयोग में लाया गया।
जो कि ठीक नहीं है। अतः खरीदे
गये सामान को वित्तीय नियम 238 के अनुसार
स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित
करें तथा उक्त सामान को स्टॉक
रजिस्टर में दर्ज किये बिना उपयोग
में लाया गया, की [illegible]
की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर स्टॉक
रजिस्टर में भी खरीदे गये सामान को
भी दर्ज करना था,
उक्त सामान को सीधे तौर पर
उपयोग करने की [illegible]
आगामी निरीक्षण पर दिखावें।

विवरणानुसार यही खरीद का ब्यौरा

क्रमांक	वा० विवरण			
1)	138 दि० 18/91.	[illegible]	98.00	बिल नं० 3598 दि० 28.3.91 [illegible]

[illegible] 1000.00 [illegible]
[illegible] मार्च कराया [illegible]
[illegible]
जारी की गई।

(क) 140 मार्च 1991. मैं० [illegible] 630.00 बिल संख्या 3592 दि 13-3-91 [illegible]
[illegible] [illegible] श्री [illegible]
[illegible] [illegible] गई. तथा
[illegible] [illegible] द्वारा
[illegible] कार्य में लाया गया।

(ख) 141 मार्च 1991. [illegible] 169.50 बिल संख्या 359 दि 25-3-91
द्वारा [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
गई तथा [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] हेतु जारी किया
गया।

(ग) 142 मार्च 1991 मैं० [illegible] 253.00 बिल संख्या 228 दि. [illegible] द्वारा
1.4 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
तथा [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
जारी किया गया।

(घ) 143 मार्च 1991 — [illegible] — 31.20 बिल संख्या 233 दि [illegible] द्वारा
[illegible] [illegible] खरीदी गई

(ङ) 144 मार्च 1993 [illegible] [illegible] 6.00 [illegible] संख्या 35 दि. [illegible]
द्वारा [illegible] [illegible]
[illegible] गया।

51 माह 6/93 मोबिल ऑयल [illegible] आदि [illegible] — बिल सं० 39 [illegible] द्वारा क्रय किया गया एवं [illegible] से बाजार से खरीदा गया।

52 माह 6/93 मरम्मत मजदूर बिजली कार्य 22.00 — बिल सं० 37 दि० [illegible] द्वारा बनाया एवं सामान खरीदे गये बिल पर दर्ज विवरण अनुसार सामान [illegible] चौकीदार के आवास पर उपयोग किया गया।

53 माह 6/93 स्टेशनरी — 214.00 — बिल सं० 42 दि० [illegible] द्वारा पी०वी०सी० पाइप एवं सॉकेट आदि खरीदे गये तथा बिल पर दर्ज विवरण अनुसार सामान [illegible] के निर्माण कार्य ([illegible] गार्ड) हेतु जारी किया गया।

उपरोक्त के सामान जो क्रय किया गया था उसे स्टॉक/डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज भी नहीं किया गया। अतः मामले की जाँच करके वास्तविक स्थिति का पता लगाया जावे तथा तत्परता आगे कार्यवाही पर दिखाई जावे।

(15) [illegible] अग्रिम बाकी

[illegible]

के निर्माण [illegible] के आधार पर [illegible]
[illegible] की [illegible] की तो अग्रिम [illegible]
द्वारा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु
नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा अवशेष धनराशि
[illegible] अग्रिम [illegible] का ब्यौरा संलग्न
परिशिष्ट-(2) पर दर्शाया गया है, समायोजन
भी किया जाता रहा जो कि नियमों के
प्रतिकूल था। अतः अग्रिम [illegible]
द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अग्रिम
नियमों की उल्लंघना की गई जिसका
औचित्य स्पष्ट करें तथा सम्बद्ध अग्रिम
कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से
प्राप्त करके सम्बद्ध अग्रिम को नियमित
करवायें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण
के समय प्रस्तुत की जाये।

स्ट्रीट लाइट बिलों के औसत आधार पर भुगतान बाबत।

नगर पंचायत की स्ट्रीट लाइट खाता क्र० 1151 मीटर 5/89 से 12/91 तक बन्द रहा। तथा बिजली विभाग अनुमानित आधार पर ही बिजली की खपत के बिलों की मांग प्रस्तुत करता रहा तथा नगर पंचायत तदनुसार भुगतान करता रहा। जबकि नगर पंचायत द्वारा बिजली के मीटर को ठीक करवाने हेतु अथवा बिजली विभाग को लिखा गया और न ही बिजली विभाग द्वारा अपनी तरफ से बिजली के मीटर ठीक करने हेतु कार्यवाही की गई। अनुमानित आधार पर बिजली के बिलों का भुगतान किया जाने से यह सम्भव होता है कि नगर पंचायत द्वारा बिजली की वास्तविक खपत से अधिक भुगतान कर दिया गया हो। अतः मामला बिजली विभाग से उठाया जाकर अधिक भुगतान कर दिया गया है तो उसे आगामी बिलों में समायोजित करवाया जावे।

12 आर्थिक अनियमितता

(2) पंचायत ... रु. 4,82 ...

श्री प्रेम सिंह वर्मा सचिव

1×2 साईज के बोर्ड का पेन्ट कर लिखाई का कार्य बिल क्रमांक 114 दि. 07.4.20 द्वारा कराया गया तथा रु. 600/- रु का भुगतान किया गया।

उपयोगिता स्थल की जांच पर पाया गया कि 10 बोर्ड पर, जो लिखे हुए थे। 300-00 रु. 05-00 [illegible] पार्टी की [illegible] की है, जबकि वास्तविक भुगतान 600-00 रु किया गया। अतः अधिक भुगतान 300-00 रु. का आर्थिक भुगतान किया गया जो कि संबंधित सचिव / रोजगार सहायक जिम्मेदार है की जांच।

उपयोगिता की साथ पर भी नहीं बताया गया कि बोर्ड पर क्या लिखवाया गया एवं तथा बोर्ड को कहाँ पर लगाया गया। संबंधित [illegible] आपत्ति का आकलन [illegible] प्रस्तुत नहीं की गयी।

प्रा 1 | अग्रिम संख्या 393 से 402 तक 1193 द्वारा
रु० 18,689-00 रु० का [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] कुमार [illegible] को

जाँच करने पर पाया गया
कि दिनांक ९-१-९३ को अ०संख्या 393 से
402 तक के [illegible] रु० 18,689-00 रु०
का [illegible] [illegible] संख्या
3934 [illegible] से किया
गया था जबकि [illegible] [illegible]
द्वारा रु० 17,707-00 रु० का [illegible] से
भुगतान किया गया। [illegible] [illegible]
राशि रु० 982-00 रु० को [illegible] को
[illegible] गया और न ही [illegible]
कार्यवाही [illegible] [illegible] [illegible]
उचित कार्यवाही की गई थी।

अतः [illegible] [illegible]
से रु० 982-00 रु० [illegible] वसूल किये
जायें तथा नियमानुसार उचित कार्यवाही
की जावे। [illegible] [illegible] [illegible]
को [illegible] प्रस्तुत [illegible] की जाये।

बा० सरल्या 240 माह 11/54 द्वारा रु० 500..
रु का भुगतान

सचिव नगर पंचायत श्री को रु०

1500 [illegible] राशी के [illegible] को,

कर्मचारियों की वर्दी खरीदने
हेतु भुगतान किया गया था। जांच दल
आयोजन [illegible] की [illegible] में
पाया गया, कि वर्दियों की खरीद
पर रु० 4850.00 रु० खर्च किया गया
है! बकाया राशी रु० 1500 रु० भुगतान
द्वारा [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] को [illegible] अमान्य होते
हैं। अतः रु० 1500 रु० की
वसूली की जावे [illegible] की [illegible]
[illegible] [illegible] तथा
[illegible] की जावे। [illegible] के अनुपालना
हस्ताक्षर 4.10.[illegible]

(IV) दो० मिट्टी भराई कार्य हेतु रू०300-00 प्रति ... का भुगतान

श्री गुनाथ राय कार्यकारी अभि०
22 गोड्डा द्वारा मे० [illegible] ठीकेदार से मिट्टी भराई कार्य किया गया जिसकी [illegible]
[illegible] -6 एवं 60 मी. [illegible]
ठीकेदार द्वारा 30-9-[illegible] तक कार्य
किया गया जिसके लिये दर 300/-प्रति
का भुगतान 50/- प्रति [illegible] की दर से
[illegible] के लिये किया गया जबकि
[illegible] दर 37.50 रु. [illegible] । इस
प्रकार ठीकेदार को 75.00 रु.
अनियमित ढंग से भुगतान किया
गया। जिसकी वसूली अविलम्ब
ठीकेदार से [illegible] की जाय
[illegible] तथा [illegible] आगामी
अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाय।

[illegible]

श्रम विभाग [illegible] की आपत्ति संख्या [illegible]

[illegible] दि0 15.4.89 के परिशिष्ट [illegible] के विरुद्ध इनके अनुसार [illegible] की गई। [illegible] श्रेणी मिस्त्रियों को दिहाड़ी 26.20 रु0 प्रतिदिन के स्थान पर 31.00 रु0 प्रतिदिन कर दी गई है [illegible] पंचायत [illegible] भी [illegible] को माह 4/89 व 5/89 [illegible] मिस्त्रियों को [illegible] दिहाड़ी 32.00 रु0 प्रतिदिन की दर से तथा माह 7/89 से 9/89 तक के [illegible] 31.20 रु0 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप मिस्त्रियों को रु0 264.00 का अधिक भुगतान किया गया। [illegible] [illegible] की जाये तथा [illegible] आवश्यक [illegible] के दौरान [illegible] की जाये।

क्रमांक	वा0 विवरण	मिस्त्री का नाम जिसको भुगतान किया गया	माह जिसके लिये भुगतान किया गया	राशि जो भुगतान की गई	देय राशि	अधिक भुगतान की राशि
(1)	आगरा 4/89 रु0 5,463.00	चौधरी राम	4/89	480.00	465.00	15.00
		मोर सिंह	"	384.00	372.00	12.00
(2)	[illegible] 5/89 रु0 6,556.00	[illegible]	5/89	992.00	961.00	31.00
		मोर सिंह	"	992.00	961.00	31.00

3) माह 7/81 रू० 4182.00	ओर सिंह	6/89	784.00	760.00	24.00
	जगीराम	,,	897.00	869.00	28.00
4) 10 माह 8/89 रू० 5017.00	जगीराम	7/89	912.00	899.00	13.00
	ओरसिंह	,,	847.00	837.00	10.00
5) 11 माह 8/89 रू० 2272.00	चौधरी राम	,,	94.00	93.00	1.00
6) 13 माह 9/89 रू० 4007.00	ओर सिंह	8/89	128.00	124.00	4.00
	जगीराम	,,	773.00	761.00	12.00
7) माह 10/89 रू० 1008.00	ओर सिंह	9/89	942.00	950.00	8.00
	जगीराम	,,	848.00	837.00	11.00
					297.00

(VI) वी० सं० 1 माह 5/91 द्वारा रू० 3010.00 का भुगतान

दिनांक 15.5.91 से 31.5.91 तक के [illegible] द्वारा मजदूरों एवं मिस्त्रियों से शौचालय के निर्माण कार्य (प्राइमरी स्कूल [illegible]) हेतु लगाया गया था। [illegible] को जांचने पर पाया गया कि भुगतान योग्य राशि रू० 3073.00 [illegible] बनती थी जबकि इनको भुगतान 3010.00 रू० किया गया। इस प्रकार 17.00 रु० का अधिक भुगतान किया गया। [illegible] 17 रु० की वसूली दोषी कर्मचारी से की जानी चाहिए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] सम्बन्धित [illegible] दोषी कर्मचारी [illegible]

16. [illegible]

(1) अंशदायी भविष्य निधि — [illegible]
[illegible] 1975 के नियम [illegible] के अनुसार
[illegible] कर्मचारी [illegible] निश्चित
[illegible] कर्मचारी [illegible] अंशदायी
पालिका सेवा की समाप्ति हो जाने पर अंशदायी
भविष्य निधि की राशि अंशदान निश्चित प्रतिशत
के दर से प्रतिमाह अपने वेतन से कटवाना
पड़ता है। जांच में ऐसा देखा गया
कि निम्न कर्मचारी काफी लम्बी अवधि से
नगर पंचायत की सेवा में हैं। परन्तु इन कर्म-
चारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि
की कोई कटौती निश्चित दर पर नहीं की
जा रही थी जो कि नियमों के प्रतिकूल है।
अतः प्रशासन नगर पंचायत से अनुरोध है
कि वह मामले की समीक्षा कर के कार्यवाही
करें। अंशदायी भविष्य निधि के खाते
की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने का
प्रयास करें। पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट
-च- में दर्शाया गया है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पद	कटौती की अवधि	राशि जो जमा करवानी थी	जमा करवाया गया	बकाया राशि जो वसूलनीय है
1	श्री जगदीश तनवार सचिव	1980 से 1993-94	11670.00	—	11,670.00
2	” जीत राम सफाई कर्मचारी	1981-82 से 1993-94	5791.00	—	5791.00
3	श्री नारी कुमार सफाई कर्मचारी	— तदैव —	5400.00	—	5,400.00

(3) सेनेटरी सुपरवाइजर की नियुक्ति बारे

कार्यालय आदेश सं. न. [illegible] (दिनांक 24.10.92) द्वारा श्री शशी कान्त को सेनेटरी सुपरवाइजर के पद पर वेतन मान 950-1800 में नियुक्त किया गया तथा उक्त व्यक्ति द्वारा दिनांक 27-10-92 को अपना कार्य ग्रहण कर लिया गया। उपरोक्त कर्मचारी की नियुक्ति में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गई।

(1 क) पूर्ववृत्-चरित्र सत्यापन :- श्री शशी कान्त द्वारा सेनेटरी सुपरवाईजर के पद दिनांक 27.10.92 को कार्य ग्रहण कर लिया गया था परन्तु [illegible] समाप्त होने तक कर्मचारी का पूर्ववृत्-चरित्र एवं [illegible] नगर पंचायत द्वारा नहीं करवाई गई थी। अतः कर्मचारी के पूर्ववृत्-चरित्र सत्यापन शीघ्र करवाई जावे।

(ग) कर्मचारी [illegible] की सेवा पंजिका का [illegible] नहीं किया गया है। [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] तथा [illegible] [illegible] पर [illegible]

(घ) अंशदायी भविष्य निधि, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 8.4 के अनुसार कर्मचारी की अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान की कटौती उसके मासिक वेतन से की जानी अपेक्षित थी। जबकि नगर पंचायत द्वारा मार्च 3/94 तक अंशदायी भविष्य निधि की कोई भी कटौती निर्धारित दर पर नहीं की गई थी। अतः इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही करके इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

(ग) संशोधित वेतनमान :- स्थानीय प्रशासन / [illegible] विभाग के पत्र सं० एफ०-एफ० जी०(1)-1/88 दिनांक 10,2,88 द्वारा दिनांक 1.1.86 को नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया गया था। तदनुसार विभिन्न कर्मचारियों के वर्गों को संशोधित वेतनमान देय था। नगर पंचायत खर्री के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गई :-

(क) सचिव का संशोधित वेतनमान 1500-2640 रुपये तथा 15 00 रुपये (विशेष वेतन) :- सचिव का संशोधित वेतनमान 1500-2640 तथा विशेष वेतन 15 00 रु० हि०प्र० सरकार के पत्र सं० एफ० एफ० जी० (1) — 1/88 दिनांक 15.6.90 द्वारा निर्धारित किया गया था। सेवा पंजिका व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि संशोधित वेतनमान हेतु सचिव द्वारा अपना विकल्प नहीं दिया गया जबकि सेवा

पंजिका में श्री जगदीश चन्द्र कुमार सचिव का वेतन संशोधित वेतनमान के निम्न प्रकार से दर्शाया गया था।

दिनांक 1-4-91 मूल वेतन 1500 रु० + 150 निर्धारित वेतन

1-4-92 " 1530 + 1500 "

1-4-93 " 1200 + 150 "

उपरोक्त संशोधित वेतनमान के आधार पर सचिव को वेतन की अदायगी की गई थी। परन्तु 1-4-93 को उनका मूल वेतन 1530 रु० से घटाकर 1200 रु० कर दिया गया जिसका कोई ठोस कारण अंकेक्षण को नहीं बताया गया। मूल वेतन 1-4-93 को 1530 रु० प्रति माह से 1200 रु० प्रति माह कर देने के कारणों से इस निदेशालय को शीघ्र ही सूचित किया जाये।

(20) श्री जीत राम सफाई कर्मचारी

श्री जीत राम सफाई कर्मचारी का मूल वेतन
दिनांक 31.12.85 को 315.00 रु० वेतन मान
300-430 में था तथा संशोधित वेतन मान
750-1350 दिनांक 1.1.86 से देय था जबकि
संशोधित वेतन मान दिनांक 1.4.91 को दिया
गया व मूल वेतन मान 750.00 रु० संशोधित
वेतन मान 750-1350 रु० निर्धारित किया
गया। जैसा कि सेवा पंजिका में दर्शाया
गया था व आगामी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी
दिनांक 1-4-92 व 1-4-93 को दी गई जबकि
फिटमेंट टेबल के अनुसार जो हि०प्र०
सरकार द्वारा पत्र सं० फिन (पी०आर०) बी (7)-6/84
दि० 10.11.88 जारी किया गया था के अनुसार
कर्मचारी का 1.1.86 को मूल वेतन
770-00 रु० निर्धारित किया जाना चाहिये था
तथा उसके पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी
थी। अतः सारे मामले की जांच की जाये कि
किस आधार पर संशोधित वेतन मान से कम
वेतन निर्धारित किया गया तथा संशोधित वेतन
मान के [illegible] लिये बिना संशोधित
वेतन मान किस आधार पर दिया गया
[illegible] दिखाने से भविष्य में [illegible] इस निदेशालय
को सूचित किया जाये।

(ग) श्री गोपि कुमार सैनी, स्थायी कर्मचारी

श्री गोपि कुमार सैनी स्थायी कर्मचारी का मूल वेतन दिनांक 31.12.85 को 315.00 रु (वेतनमान 300-430 रु) था तथा संशोधित वेतन मान 750-1350 में मूल वेतन 750.00 रु निर्धारित किया गया व आगामी वेतन वृद्धियाँ दिनांक 1.4.92 और 1.4.93 को दी गई जैसा कि सेवा पुस्तिका से ज्ञात पड़ता है जबकि फिटमैन्ट टेबल के अनुसार संशोधित वेतन मान 750-1350 में उसका मूल वेतन 790.00 रु निर्धारित किया जाना चाहिए था। कर्मचारी द्वारा संशोधित वेतन के लिये अपना विकल्प भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। वेतन निर्धारण के पश्चात उस को वार्षिक वेतन वृद्धियां भी दी जानी अपेक्षित थी। इसलिए सारे मामले की जांच की जावे कि किस आधार पर संशोधित वेतन मान में कम वेतन निर्धारण किया गया तथा संशोधित वेतन मान के विकल्प लिये बिना संशोधित वेतन मान किस आधार पर दिया गया। तात्कालिक से शीघ्र से इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

(17) अग्रिम राशि समायोजन बाबत

अंकेक्षण के दौरान, पाया गया कि रोकड़ एवं अन्य निर्माण सामग्री की खरीद करने के लिये अग्रिम राशि का अलग-2 समय पर आहरण किया जाता रहा जैसा कि निम्न विवरण से ज्ञात पड़ता है। परन्तु आहरण की गई अग्रिम राशियों के विरुद्ध म्युनिसिपल एकाउंट्स कोड-1975 के नियम 246 के अनुसार मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर (फार्म संख्या-12) पर दर्ज नहीं किया जाता रहा। जो कि नियमों के विपरीत है तथा इससे यह जांचने में भी कठिनाई आई कि क्या समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन कर लिया गया था कि नहीं। अतः उपरोक्त नियम के अनुरूप मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का संधारण किया जावे तथा बकाया अग्रिम राशियों का विवरण उसमें दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जावे।

[illegible]

[illegible] ! [illegible]

६३ वाउ ३/१०	८,०००-००	सीमेन्ट खरीदने हेतु
१३ वाउ ३/१०	६,५००-००	— अंकोली —
७४ वाउ ३/१०	११,०००-००	बिजली सामग्री खरीदने हेतु।
७९ वाउ ३/१०	१०,०००-००	— अंकोली —
८३ वाउ ३/१०	१३,०००-००	राशन दुकान के लिये बिजली का सामान खरीदने हेतु
१०३ वाउ ३/११	७,२५०-००	बिजली सामग्री खरीदने हेतु।
— वाउ ५/१२	१२,५००-००	सीमेन्ट खरीदने हेतु (अंकल [illegible])
१२३ वाउ ७/१२	८,२५०-००	सीमेन्ट एवं अन्य सामान खरीदने हेतु!
५० वाउ १०/१२	३,६७०-००	सीमेन्ट खरीदने हेतु!
११० वाउ ५/१२	६७,५००-००	— अंकोली —
२४६ वाउ १/१४	११,१००-००	— अंकोली —
२९९ वाउ ३/१४	५०,०००-००	[illegible] के लिये [illegible] खरीदने हेतु [illegible]

(1) प्रतिवेदन क्र.सं. ९/१२ द्वारा रु० 11,60.00 का भुगतान

श्री [illegible] कनिष्ठ अभियन्ता
को रु० 11,60.00 का भुगतान अग्रिम
[illegible] [illegible] की 100 बोरी सीमेन्ट
खरीदने हेतु किया गया।
लेखापरीक्षा [illegible] की त्रुटियाँ
[illegible] [illegible] [illegible]
पाई गई।

[illegible] कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 0.7.12
को रु० 11,60.00 का भुगतान
किया गया जबकि 10 बोरी सीमेन्ट
दिनांक 7.2.12 को [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] खरीदा
खरीदा गया। इस प्रकार [illegible] दिन तक
कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा रु० 11,60.00
का दुरुपयोग किया गया प्रतीत
होता है [illegible] इस प्रकार
अनियमितता की [illegible] हेतु उचित
कार्यवाही की जाये तथा अग्रिम
राशि का भुगतान [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] किया जाना
[illegible] [illegible]

कार्यालय नैहर कोठी ने इलाहाबाद
संस्था प्रमुख दिनांक 30.6.92 द्वारा
100 बोरी सीमेन्ट का क्रय किया
जिसका 11,400.00 रु (114.00 रु प्रति
बोरी) दर्शाया गया जबकि
वास्तविक 11,465.00 रु (114.65 रु
प्रति बोरी की दर से) देय था जैसा
[illegible] दिनांक 7.7.92 सूचित की
गई। इस प्रकार 100 बोरी सीमेन्ट
का कुल 65.00 रु का अधिक
भुगतान किया गया जिसकी
वसूली की जाये।

(ग) श्री राम सिंह मजदूर को 20.00
रु. [illegible] प्रति बोरी की दर से
सीमेन्ट का ढुलान ले जाने
[illegible] पहुंचाने के लिए
भुगतान किया गया है
परन्तु किस दिन श्री राम सिंह को
भुगतान किया गया, [illegible] पहुंचाया
गया था?

(घ) निर्माण कार्यों के [illegible]
को ना तो सत्यापित किया
गया और न ही जे. ई.
[illegible] [illegible] [illegible] किया गया
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

18. न्यायिक व्यय :- नगर [illegible] ने निम्नलिखित न्यायिक व्यय का भुगतान किया गया था। परन्तु उक्त न्यायिक व्यय को व्यय रजिस्टर फार्म जी० 32 पर राज० म्यूनिसिपल अकाउंट्स नियम 1975 के नियम 240 के अन्तर्गत दर्ज नहीं किया गया था। जो कि नियम के प्रतिकूल है। अतः मामले में उचित कार्यवाही की जावे तथा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त न्यायिक व्यय को व्यय रजिस्टर में दर्ज किया जावे।

वा० सं०	राशि	व्यय का ब्यौरा
192 माह 3/91	50.00	मोहन लाल बनाम न०पा० के मामले में इन्तखाब की प्रति लेने के लिए भुगतान किया गया।
298 माह 1/94	2000.00	[illegible] लाल बनाम न०पा० तथा [illegible] राम बनाम न०पा० के मामले में वकील को 1000.00 रु० प्रति केस की दर से भुगतान किया गया।

अंकेक्षण के बाद निम्न
त्रुटियाँ भी पाई गयी जो निम्न प्रकार है।

(क) नगर पंचायत द्वारा वकील को फीस रु0 1000.00 दी गई थी, जो प्राप्ति रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत वकील की रसीद को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये।

(ख) हि0 प्र0 म्युनिसिपल अकाउंट्स कोड 1975 के नियम -174 के अनुसार 50/- रु0 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित था जबकि नगर पंचायत द्वारा वकील को नकद भुगतान किया, जो कि नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान चैक द्वारा ही किया जाये।

17. गलत वर्गीकरण :- नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए किये गये थे परन्तु इन खर्चों को वर्क रजिस्टर में गलत शीर्ष में दर्शाया गया था। अतः किये गये खर्चों को उपयुक्त शीर्ष में दर्शाया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें।

क्रमांक	वा० सं०	व्यय की गई राशि	विवरण
1	88 माह 9/90	4195.00	कार्यादेश सं० 04/90 द्वारा विभिन्न स्थानों का निर्माण कार्य करवाया गया था तथा पैमाइश माप पुस्तिका सं० 8 पृ० 8 पर दर्ज की गई थी परन्तु व्यय/भुगतान को वर्क रजिस्टर पृष्ठ 31 पर, हाउस [illegible] के निर्माण कार्य शीर्ष में दर्शाया गया।
2	9 माह 8/90	458.00	प्रयोग जनरल स्टोर [illegible] से बिल सं० 158, दि० 24.9.90 द्वारा जाली खरीदी गई तथा नगर पंचायत कार्यालय में लगाई गई बताई गई परन्तु जाली [illegible] स्नान निर्माण कार्य के शीर्ष वर्क रजिस्टर पृ० 31 पर दर्शाया गया।

7 [illegible] — 410.00 बिजली का सामान खरीदा गया [illegible] (मैसर्स ए.एल. ट्रेडर्स 15-1-5 [illegible]) से लिया गया (निर्माण कार्य) जबकि [illegible] टाउन हाल का निर्माण कार्य में दर्शाया गया।

7[illegible] — 448.00 [illegible] जबकि टाउन हाल वायर मैन को [illegible] बिजली की फिटिंग करने हेतु भुगतान किया गया था जबकि [illegible] बी.ओ. [illegible] टाउन हाल का निर्माण में दर्शाया गया।

78 अप्रैल 1990 2,315.00 श्री [illegible] ठेकेदार [illegible] लकड़ी का कार्य किया गया था [illegible] 10.11 [illegible] दर्शाया गया। [illegible] लकड़ी का कार्य किया गया था। जबकि [illegible] 34 टाउन हाल का निर्माण कार्य [illegible] में दर्शाया गया।

79 मई 1990 116.00 [illegible] का [illegible] [illegible] की [illegible] (नाइट्रोजन [illegible]) [illegible] 31 [illegible] टाउन हाल का निर्माण [illegible] दर्शाया गया।

80 मई 1991 86.00 [illegible] की [illegible] का सामान की [illegible] हेतु [illegible] किया गया [illegible] टाउन हाल का निर्माण [illegible] दर्शाया गया [illegible]

(18) विविध आपत्तियाँ [illegible] 10क

(ग) [illegible] द्वारा मद [illegible] रु० 4,37,408 की भुगतान

श्रीमती अनूप [illegible] [illegible] [illegible] को 30 सीटर पेट्रोल [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] एस०डी०एम० कार्यालय [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] किया गया। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति [illegible] द्वारा रु० 1,60,000 की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रयोग में लाया गया।

उपरोक्त भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गईं।

क। मु0 1,60,000.00 रु० का भुगतान लेने के लिये एस०डी०एम० कार्यालय [illegible] की गाड़ी उपयोग करने का औचित्य नहीं बन पड़ता (जिसके लिये 30 सीटर पेट्रोल [illegible] में [illegible] [illegible]) जबकि भुगतान [illegible] द्वारा सार्वजनिक परिवहन द्वारा भी [illegible] जा [illegible] कि [illegible] [illegible] में [illegible] था। [illegible] [illegible]...

-आर-टी- 108

हेतु किये गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट करें अथवा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर [illegible] प्रेषित करावें।

(उत्तर) [illegible] सरकारी [illegible] में [illegible] किये [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विभाग की [illegible] अतः गाड़ी का [illegible] लेखा [illegible] का [illegible] नियमानुसार [illegible] है।

(5) आपत्ति रही कि सरकारी गाड़ी हेतु पेट्रोल जारी किया गया [illegible] कार्यालय [illegible] के वाहन के उपयोग हेतु [illegible] घर पर [illegible] की है [illegible] किया गया जो उचित होगा। अतः भुगतान [illegible] [illegible] [illegible] उचित कार्यवाही करें।

(II) नमूना की आपत्ति को

(क) वा० संख्या 875 माह 1/83 द्वारा रु० 12,030-00 का आहरण

रु० 12,030-00 रु० का आहरण दिनांक 1.1.83 को बैंक खाते से किया गया। इसमें से रु० 12,000-00 भुगतान हुआ तथा 30-00 रु० बैंक कमीशन की कटौती हुई। [illegible] के [illegible] आदेश [illegible] [illegible] को रु० 12,000-00 रु० का [illegible] भुगतान [illegible] की किश्त का पत्र संख्या 403 दि० 1.83 द्वारा पत्र-व्यवहार निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास विभाग को [illegible] गया। [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] में जांच नहीं की गई और [illegible] जांच करें। [illegible] [illegible] समय [illegible] प्रस्तुत करें।

(ख) वा० सं० 173 माह 1/83 द्वारा रु० 10,000-00 का आहरण

रु० 10,000-00 रु० [illegible] [illegible] चेक संख्या 165 से दिनांक 8.1.83 को निकाला गया [illegible] [illegible] पश्चात दिनांक 8.12.83 को पत्र-व्यवहार निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास [illegible] को

110

ऋण की द्वितीय किश्त की मांग के रूप में की गई थी। परन्तु इस राशि की प्राप्ति निगम से प्राप्त नहीं की गई, जिसे स्वयं प्राप्त करके लाभार्थी/अभिकर्ता के खाते में जमा करने हेतु प्रस्तुत रखना सुनिश्चित करें।

अभिकर्ता को प्रथम रू० 10,000.00/रु० की राशि का आहरण दिनांक 8-10-92 को किया गया था लेकिन भुगतान दो माह बाद दिनांक 8-12-93 को किया गया। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा रू० 10,000.00 रु० की राशि का दो माह तक दुरुपयोग किया गया है। अतः मामले की जांच की जाये तथा मामले को उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाये। इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, निश्चित करें।

116

(iii) वाउचर संख्या 122 माह 11/90 द्वारा रु० 205.00 रु का भुगतान।

रु० 205.00 रु का भुगतान

श्री [illegible] कार्यालय [illegible] को माह 11/90 में किया गया था। यह [illegible] द्वारा मृत गाय को दफनाने में [illegible] खर्च [illegible] किया गया था। [illegible]

[illegible] बिना [illegible] खर्च गया। [illegible]

विवरण	धनराशि
(1) मृत गाय को गाड़ी में ले जाने के लिये	20.00 रु
(2) मृत गाय को उठाने एवं [illegible] पर किया गया खर्च	50.00 रु
(3) 6'x4'x4' का गड्ढा खोदने एवं दफनाने का खर्च	135.00 रु
	205.00

उपरोक्त धनराशि [illegible] पर किये गये [illegible] भुगतान की रसीद वाउचर के साथ नहीं लगाई गई थी। [illegible] ~~सम्बन्धित व्यक्ति जिनको भुगतान किया गया था कि रसीद तुरन्त प्राप्त करें~~ तथा आगामी [illegible] में जांच हेतु प्रस्तुत करें।

~~अनुच्छेद~~ 11 ख (28)

(11) ~~डिपोरी~~ के लिये समाचार पत्रों की खरीद बारे।

मैसर्ज गुप्ता [illegible] से समाचार पत्रों की खरीद की जाती रही तथा बिलों का भुगतान किया जाता रहा। परन्तु निम्न लिखित महीनों में खरीदी गई अखबारों की अखबारों के प्राप्ति रजिस्टर में एंट्री नहीं किया गया था, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि प्राप्ति रजिस्टर में अखबारों की जानकारी को दर्शाया जाता है। एंट्री न करने का कारण स्पष्ट किया जाये। तथा अनुपालना आगामी लेखा निरीक्षण में अनुरूप प्रस्तुत करें।

बिल संख्या	भुगतान किया गया	खरीदे गए अखबार
25 माह 6/93	219.00	माह 6/93 में पंजाब केसरी तथा हिन्दुस्तान, जनसत्ता आदि खरीदी गई।
147 माह 11/93	215.60	माह 11/93 में पंजाब केसरी, हिन्दुस्तान, जनसत्ता, नवभारत आदि खरीदी गई।
855 माह 4/94	246.00	माह 4/94 में [illegible]
837 माह 7/94	221.00	माह 7/94 में [illegible]

(V)

पुराने सामान की निलामी

नगर पंचायत द्वारा पुराने सामान की निलामी दिनांक 13.3.89 को की गई थी जिसमें रु० 1410.00 रु की वसूली करके नगर पंचायत की नि० पु० दिनांक 14.3.89 को जमा करवाई गई थी। उपरोक्त निलामी से सम्बन्धित [illegible] की कुटेशनें पाई गई।

(ख) पुराने स्टाक रजिस्टर का न होना

पुराने सामान के स्टाक रजिस्टरों को अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिये पूछे जाने पर बताया गया कि पुराने स्टाक रजिस्टर श्री [illegible] भूतपूर्व सचिव के पास हैं। अतः आवश्यक [illegible] जायें। जिसके कारण यह नहीं जाना जा सका कि जिस सामान की निलामी की गई थी क्या उस सामान का स्टाक रजिस्टर में [illegible] कि नहीं। [illegible] पुराना स्टाक रजिस्टर आवश्यक रूप से प्राप्त किये जायें [illegible] श्री [illegible] भूतपूर्व सचिव के पास [illegible] दिनांक [illegible] को [illegible] लिखा है।

जाँच समयावधि में क इस्टाक पंजिकाओं को रखे जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(२८) भौतिक सत्यापन :- नीलामी के विवरण को जाँचने पर पाया गया कि किस प्रकार के सामान की भी नीलामी कर दी गई थी जबकि नीलामी से पूर्व समस्त सामान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः बिना भौतिक सत्यापन कराये सामान की नीलामी करने का आधार बताया जाता तथा इस औचित्य सम्बन्धी अभिलेख भी प्रस्तुत किया जाये।

(1) पानी की टंकियाँ।

(2) नाली 3 इन्च व्यास 1 फुट

(3) नाली " " 3 फुट

(4) अन्य लोहे का सामान जैसे (हैंड पंप की टोंटियाँ)

(V) कोलेक्शन चार्जेज

संव्यवहारित राशियों को

नगर पंचायत के खाते में जमा करने के लिए बैंक द्वारा लगाए गए कमीशन / कलेक्शन चार्जेज की कटौती की गई। इस कटौती बैंक पास बुक से परिलक्षित पर नहीं कराई गई और बल्कि नगर पंचायत द्वारा जमा की गई राशी को ही कलेक्शन चार्जेज की कटौती करके दर्शायी गयी और न ही राशि के कलेक्शन चार्जेज की [illegible] बैंक द्वारा नगर पंचायत को मांग नहीं की गई थी। अतः बैंक से काटी गई कलेक्शन चार्जेज का पुनः वापस प्राप्त करने का प्रयास किया जाय जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जो अभी बैंक पास बुक से कलेक्शन चार्जेज को जमा नहीं दर्शायी गई थी वह सही थी।

तिथि	जमा की गई राशी का विवरण	जमा राशि [illegible]	बैंक कलेक्शन चार्जेज काटी गई राशी
5.9.1	[illegible]	55500	190.00

[illegible] — ११६ — [illegible]

११/९१	अंत्योदयी —	1,60,000.00	490.00
१२/९१	अंत्योदयी —	50,000.00	163.00
६/९३	आई०आर०डी०	२,00,000.00	728.00
१०/९३	अंत्योदयी —	40,000.00	128.00
१/९४	[illegible], [illegible]	96700.00	251.00
२/९४	आई०आर०डी०	48,000.00	154.00
९/९०	अंत्योदयी — ([illegible] ३९८४.)	२१,000.00	२51.00
२/९०	[illegible] }	२4,000.00	२52.00
		37,402.00	122.00

(VII) नगर पंचायत की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन :- [illegible]

[illegible] लेखा - नियम के नियम 2.4(1) के अनुसार नगर पंचायत की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित था जबकि नगर पंचायत द्वारा सम्पत्ति का सत्यापन नहीं किया जाता रहा जो जांच करवाया जावे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि निर्दिष्ट नियमानुसार सम्पत्ति सत्यापन नियमित रूप से करवाया जाना रहे तथा उसे आगामी अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

(VIII) अभिलेखों के रख रखाव बारे में :-

अंकेक्षण के समय पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न प्रकार के अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जाता रहा है। अतः [illegible] अकाउंट्स कोड के अनुरूप अभिलेखों का रख रखाव कार्यालय में किया जावे तथा उपलब्ध आगामी [illegible]

कौंसिल ... 418
की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(1) कार्यालय नक्शा रजिस्टर (फार्म जी०3)
(2) मासिक लेखे (फार्म जी० 4)
(3) वार्षिक लेखे (फार्म जी० 5)
(4) स्टाक रजिस्टर (फार्म जी० 22)

(IX) व्यय की स्वीकृति बारे :- कौंसिल के समक्ष पाया गया कि प्रधान नगर पंचायत द्वारा सामान्य समस्त व्ययों की स्वीकृति दी जाती रही जबकि हिमाचल नगर पालिका अधिनियम 1968 की धारा 51 के अनुसार व्यय की स्वीकृति हेतु केवल नगर पंचायत ही सक्षम थी। अतः कौंसिल प्रधान के समक्ष किये गये समस्त व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति नगर पंचायत से प्राप्त करें तथा इस सम्बन्ध में पारित किये गये प्रस्ताव को आगामी कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(छ) प्रिंट मीडिया में विज्ञापन हेतु
निगम की सहमति

लेखापरीक्षा में पाया
गया कि यातायात निगम द्वारा
प्रिंट मीडिया हेतु खरीद
द्वारा समाचार पत्रों में निविदा पर
आमंत्रित किया और न ही उत्तर प्रदेश
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा
170 (1) के अन्तर्गत हैं। निविदाएं
की जानी थी
(दि० ...) जबकि
विभाग द्वारा जारी किये गये
निर्देशों के अनुसार निगम खरीद
पर निविदा पर ही आमंत्रित
करेगा। ... पंचायत निगम
खरीद का ... ।
प्रारम्भिक ... की बिना ...
की ... की
गयी
की ... स्वीकृति लेकर किया
गया।

[illegible]

124 (१२६)

90 लेखा आपत्तियों की निगरानी : लेखा आपत्तियों की निगरानी [illegible] हो जाती नहीं थी यह भी लंबित लेखा आपत्तियों का निपटारा कागज पर ही कर दिया गया था।

91. निष्कर्ष : [illegible] योजना के लक्ष्यों को [illegible] पूरी नहीं हुई थी। [illegible] [illegible] से लिया गया [illegible] ([illegible]) [illegible] की कई निधियाँ खोली गई जिन लोगों का भुगतान किया गया था पात्रता की जाँच नहीं की गई थी। जिन लाभार्थियों को भुगतान हेतु चेक जारी किया जाना था उनको नगद भुगतान ही किया जाता रहा। इसके साथ निर्माण कार्य में उपयोग में लाई गई सामग्री (जो [illegible] हो जाती थी) के आवर्तिक उपयोग करने का विवरण किसी [illegible] / [illegible] में नहीं था।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करने का [illegible] [illegible] किया गया [illegible] [illegible] [illegible]

127

किये गये विवरण में [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Deputy Controller (Audit)
Urban Local Bodies,
H.P. Shimla-171002.

स्थानीय शहरी निकाय
उ० नि० (अंके०) हि०प्र० शिमला-2